प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी–मार्च 2017
वर्ष 61 अंक–1

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग
(सरंक्षक)

श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
डा. सरोज गर्ग
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी.के.वर्मा
डा. उषा राय
डा. मदन सिंह
श्री एस.सी. खंडेलवाल
श्री राजेन्द्र जोशी

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय

प्रौढ़ शिक्षा में कार्पोरेट सेक्टर की साझेदारी आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र
–प्रभाकर सिंह 5

सेमेस्टर प्रणाली के प्रति उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन
–शमीम आरा हुसैन 21

एक शिकायत समान शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने में हो रही देरी पर
–प्रेमपाल शर्मा 27

प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की उपलब्धि पर प्रेरण के प्रभाव का अध्ययन
–उमेश चमोला 30

हमारा विद्यालय : हमारी सोच
–एस. के. सिंह
–शीला सिंह 36

लैंगिक संवेदनशीलता और शिक्षा
– बी.एल. श्रीमाली 41

गणतंत्र हमारा गोरव है
– कुसुम वीर 45

हमारे लेखक 48

मूल्य :रूपये 200/–वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं, जिनके लिए संघ एवं सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है ।

Census 2011 - Database for Literacy Programmes

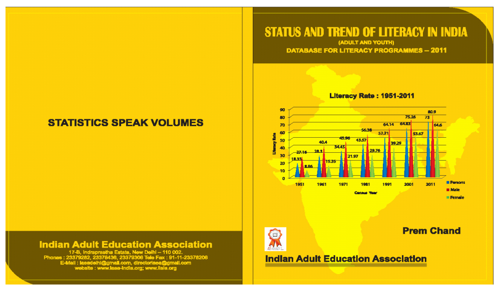

Indian Adult Education Association has brought out recently a book titled **Status and Trend of Literacy in India (Adult and Youth) Database for Literacy Programmes – 2011**. This book has 200 pages with 8 chapters and 17 tables. Annexure also gives district-wise information regarding literates, illiterates and literacy rates by sex and rural/urban areas for the age group 7 and above and illiterates, literates and literacy rates by sex and areas for adolescent (10-19) and youth (15-24) population – 2011.

The price of the book is Rs.800/- (US $ 90) per copy. Purchase order can be made by mail (directoriaea@gmail.com) indicating number of copies required and Demand Draft for total amount sent by post. The Demand Draft be drawn in favour of "Indian Adult Education Association" payable at New Delhi.

सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है जन सहयोग

ऐसा नहीं है कि भारत में विकासात्मक गतिविधियों के संचालन को पहले महत्व नहीं प्रदान किया जाता रहा है पर यह भी सही है कि सहस्त्राब्दि लक्ष्यों को पूरा करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण मानव संसाधन विकास की प्रक्रियों में उल्लेखनीय तीव्रता दर्ज की गई। अब सतत् विकास लक्ष्यों का दौर है। क्या इन राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को हम समय से पूरा कर पाएंगे ? यह एक वांछनीय प्रश्न है।

विदित है कि सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जो सबके लिए एक समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व का सृजन करेगा। यह सभी व्यक्तियों के साथ–साथ सम्पूर्ण पृथ्वी की समृद्धि के लिए भी कारगर होगा। कुल 17 सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 169 निश्चित लक्ष्य सम्मिलित हैं। दुनिया को बदलने के लिए इस सतत् विकास एजेण्डा 2030 को सितम्बर 2015 में सयुंक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया। 1 जनवरी 2016 से यह लागू है।

सतत् विकास लक्ष्य के अंतर्गत चौथा एवं पांचवा लक्ष्य मानव संसाधन विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। चौथा लक्ष्य समावेशी और न्यायसंगत, गुणवतापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देने की बात करता है। वहीं पांचवा लक्ष्य लैंगिक समानता हासिल करने तथा सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण को प्राथमिकता प्रदान करता है।

चौथे लक्ष्य के अंतर्गत सन् 2030 तक सभी लड़कियों एवं लड़कों के लिए निःशुल्क, सामयिक और गुणवतापूर्ण प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने, सभी महिलाओं एवं पुरूषों के लिए विश्वविद्यालय सहित किफायती और गुणवतापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और विस्तार शिक्षा की समान रूप से सुलभता सुनिश्चित करने तथा रोजगार, उचित कार्यों और उद्यमिता हेतु तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों सहित सुसंगत कौशल से सम्पन्न युवाओं और व्यस्कों की संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य समाहित है।

पांचवा लक्ष्य सभी जगह सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों का अंत करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के हिंसा का अंत करने तथा सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे कि बाल, समयपूर्व और जबरदस्ती विवाह तथा महिला जननांग विकृति का अंत करने की वकालत करता है।

पर इन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए व्यापक आर्थिक निवेश एवं संसाधनों की आवश्यकता होगी। ज्ञात है कि सन् 2015 में ही यूएनडीपी तथा पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार

के सहयोग से एक व्यापक अध्ययन किया गया था जिसका उद्देश्य यह आंकलन करना था कि निर्धारित अवधि में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुल कितनी राशि निवेश की आवश्यकता होगी? रिपोर्ट यह कहता है कि एसडीजी के लिए प्रति वर्ष 7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर (438.94 लाख करोड़) की आवश्यकता होगी। यदि केवल विकासशील देशों की बात करें तो प्रति वर्ष 3.9 ट्रिलियन डॉलर (244.55 लाख करोड़) की जरूरत होगी। ज्ञात है कि यदि वर्तमान गति के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो विकासशील देशों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महज 1.4 ट्रिलियन डॉलर (87.78 लाख करोड़) का निवेश किया जाएगा अर्थात मात्र विकासशील देशों में प्रति वर्ष 2.5 ट्रिलियन डॉलर (156.76 लाख करोड़) अतिरिक्त निवेश के आवश्यता होगी।

यदि भारत की बात करें तो निर्धारित 15 वर्षों की अवधि के लिए कुल 8.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थात 533 लाख करोड़ रूपयों के निवेश की आवश्यकता होगी। तात्पर्य यह है कि भारत में सभी सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 36 लाख करोड़ रूपयों के आर्थिक निवेश की आवश्यकता है। केवल चौथे सतत् विकास लक्ष्य के लिए ही भारत को कुल 142 लाख करोड़ का निवेश करना होगा। रिपोर्ट कहता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के कारण भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों का अभाव नहीं दिखता। लेकिन बाल विकास एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षण के क्षेत्र में कुल 35 लाख करोड़ की राशि अपेक्षित है। वर्तमान गति के अनुसार इस मद में केवल 8 लाख करोड़ का ही निवेश किया जा रहा है। अतः यहां 27 लाख करोड़ अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार तकनीकी, व्यावसायिक तथा विस्तार शिक्षण के लिए कुल 19 लाख करोड़ अतिरिक्त राशि तथा देश में विद्यमान सकल कार्य बल के कौशल विकास के लिए 9 लाख करोड़ राशि की जरूरत होगी। वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को कुल 89 लाख करोड़ राशि का निवेश करना होगा।

उपरोक्त विवरण के आलोक में यदि देखा जाए तो सतत् विकास लक्ष्यों की घोषणा के एक वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी देश में कोई खास हलचल देखने को नहीं मिल रहा है। अब तो पंचवर्षीय योजनाओं का दौर भी नहीं रहा जिसकी घोषणाओं से विविध क्षेत्रों में हो रहे निवेश तथा प्रगति का एक अनुमान लगाया जाता रहा है। ऐसे में नीति आयोग से त्वरित तथा विस्तृत ब्यौरे की अपेक्षा की जा सकती है। आयोग द्वारा इस दिशा में किये जाने वाले निवेश तथा प्रगति का समयक विवरण जनसाधरण के हित में जारी किया जाना चाहिए ताकि जनता को यह स्पष्ट हो सके कि सरकार उसके उद्देश्य से क्या निवेश कर रही है और स्वयं उस तक क्या सुविधाएं अथवा संसाधन पहुंच रहे हैं। तभी वह स्वयं से सक्रिय होकर सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपना सार्थक योगदान दे सकेगी। सभी जानते हैं कि बिना व्यापक जन समर्थन एवं सहयोग के सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की डगर आसान नहीं होगी।

– बी. संजय

प्रौढ़ शिक्षा में कार्पोरेट सेक्टर की साझेदारी

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र – एक अध्ययन

– प्रभाकर सिंह

हमारा देश भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या आज भी गावों में निवास करती है। विकास की दृष्टि से देखें तो शहरों की तुलना में गांव बहुत पीछे हैं। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त असाक्षरता है। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण समाज का एक बड़ा तबका अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। आज उसके सामने अनेक समस्याएं हैं जिसके कारण विकास में उसकी समुचित भागीदारी नहीं हो पा रही है। अशिक्षित व्यक्ति अपने सामाजिक आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान इस लिए नहीं दे पाता है, क्योंकि वह अशिक्षा के कारण उन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाता जो उसके लिए जुटाई गई हैं। व्यक्ति की शिक्षा, सूचनाओं तक पहुंच तथा कार्यकुशलता उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित व्यक्ति अपनी जानकारी तथा कार्यकुशलता से जहां श्रम के साथ–साथ वैज्ञानिक तथा उन्नत तकनीकों का उपयोग करके अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करता है, वहीं अशिक्षित व्यक्ति इनसे अनभिज्ञ रहता है। परिणामस्वरूप उसे अधिक श्रम करने के बावजूद कम प्रतिफल पर सन्तोष करना पड़ता है। इस प्रकार एक शिक्षित व्यक्ति जितना जल्दी अपना स्वयं और समुदाय का विकास कर सकता है, असाक्षर व्यक्ति नहीं कर सकता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में सोचने–विचारने, चिन्तन करने, तर्क करने तथा समस्याओं के समाधान खोजने की योग्यता विकसित होती है। साक्षरता शिक्षित होने की दिशा में प्रवेश द्वार है।

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत के नीति निर्माता, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम को गतिशील बनाने में लगे हुए हैं। आजादी के बाद इस हेतु अनेक योजानाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए। इस दिशा में 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था। इसके माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार हुआ। सन् 2008 तक देश के 597 जिलों में साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए गए। इनमें से 328 जिलों मे सतत शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया। (कुमार, 2008:22)

देश की सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण इकाइयों को गतिशील बनाने में साक्षरता कार्यक्रमों ने काफी सहयोग किया है। लेकिन एक लम्बे समय तक साक्षरता अभियान के संचालन के पश्चात देश में ऐसी स्थितियॉ निर्मित होने लगी जहॉ साक्षरता गतिविधियों में ठहराव दिखाई देने लगा जबकि एक बड़ी आबादी को साक्षर बनाने का कार्य

शेष था और अभी भी है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण साक्षरता क़े लक्ष्य के बड़े हिस्से, लगभग 7 करोड़ असाक्षर लोगों को प्रभावी तरीके से सम्बोधित करने हेतु यह आवश्यक हो गया कि साक्षरता कार्यक्रम को पुनरीक्षित और सुदृढ़ किया जाय। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इस दिशा में पहल करते हुए साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थाओं के साथ गोष्ठियों, सेमिनारों में लम्बे विचार–विमर्श के बाद सन् 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम नामक नवीन रणनीति तैयार की (साक्षर भारत कार्यक्रम दस्तावेज)।

साक्षर भारत कार्यक्रम

साक्षर भारत कार्यक्रम नामक नवीन रणनीति का क्रियान्वयन पुरे देश में सितम्बर 2009 से शुरू हुआ। यह कार्यक्रम देश के सुदूरवर्ती पिछड़े एवं कमजोर वर्गों की जनसंख्या बाहुल्य ग्रमीण क्षेत्र के 410 जिलों की 1,57,875 ग्राम पंचायतों मे स्थापित लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है। मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम 42 जिलों की 18016 ग्राम पंचायतों में स्थापित लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है। यह प्रयास इस विश्वास के साथ किया जा रहा है कि सन् 2017 तक देश में 15 तथा 15 से अधिक आयुवर्ग के महिला–पुरूषों में 80 प्रतिशत साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

लोक शिक्षा केन्द्र

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ साक्षरता एवं आजीवन शिक्षण को संस्थागत प्रबन्धकीय तथा संसाधन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर प्रति 5000 की आबादी पर लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र पर संविदा आधार पर दो प्रेरक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक प्रेरक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। लोक शिक्षा केन्द्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समितियों को सौंपी गई है। केन्द्रों का संचालन समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में किया जा रहा है। इस समय देश में लगभग 1.70 लाख लोक शिक्षा केन्द्र संचालित हो रहे हैं। लोक शिक्षा केन्द्रों के प्रेरकों को पठन–पाठन गतिविधियॉ संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यद्यपि बुनियादी शिक्षा तथा सतत शिक्षा कायक्रम मुख्यतः केन्द्र आधारित हैं, जबकि स्वयंसेवक आधारित साक्षरता कार्यक्रम का संचालन गॉव या बसाहट में असाक्षरों की संख्या के आधार पर अपेक्षित कक्षाओं के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक साक्षरता कक्षा में 8–10 शिक्षार्थी पढ़ना–लिखना सीखते हैं।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार निजी एवं कार्पोरेट क्षेत्र की व्यापक भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा उर्जा वित्त निगम की साझेदारी से साक्षर भारत कार्यक्रम संचालित जिलों में स्थापित लोक शिक्षा केन्द्रों को आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के रूप मे प्रोन्नत करने हेतु निजी एवं कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा उनके

सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरूआत की है। उनके वित्तीय सहयोग तथा 14 राज्य संसाधन केन्द्रों की मदद से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा देश के 100 लोक शिक्षा केन्द्रों को आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के रूप विकसित किया गया है। इस कड़ी में राज्य संसाधन केन्द्र इन्दौर द्वारा बड़वानी जिले के 4, खरगोन जिले के 4 तथा धार जिले के 2 लोक शिक्षा केन्द्रों को आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रोन्नत किया गया है। इन केन्द्रों को प्रशासन तथा समुदायों के सहयोग से प्रोन्नत किया गया है। आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के रूप में प्रोन्यन करते समय उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई है, जहॉ के लोग आवश्यक स्थान तथा सहयोग प्रदान करने के के लिए तैयार थे। लेकिन इसमें भी समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की बसाहट का विशेष ध्यान रखा गया है।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य

आदर्श लोक शिक्षा केन्दों की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केन्द्र विकसित करना है, जो अपनी बहुआयामी सेवाओं, समन्वय एवं उत्प्रेरणा के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।

लक्ष्य समूह

- 15 या अधिक आयुवर्ग के असाक्षर/अर्धसाक्षर/ स्कूल ड्रापआउट तथा नवसाक्षर जिन्होंने बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर लिया है।
- 9 से 14 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले तथा पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चे।
- समुदाय का कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हैं।

उपरोक्त सभी को आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से अपनी शिक्षा सतत जारी रखने, व्यक्तित्व का विकास करने, हुनर विकसित करने, सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने तथा आय और जीवन स्तर सुधार कर अपनी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

अध्ययन की आवश्यकता

हमारे देश में वर्षों से प्रौढ़ शिक्षा मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी रही है। यद्यपि कुछ हद तक स्वैच्छिक संगठनों की भी इसमें भागीदारी रही है परन्तु कार्पोरेट सेक्टर की भागीदारी से प्रौढ़ शिक्षा हमेशा ही वंचित रही है। देश में पहली बार कार्पोरेट सेक्टर के आर्थिक सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अभिनव पहल है। इन केन्द्रों के माध्यम से बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम एवं गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे यहां पर शिक्षा के साथ विकास में आम आदमी की भागीदारी बढ़े। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य संसाधन केन्द्र इंदौर द्वारा इन आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के प्रभावी

संचालन हेतु इनके स्थापना की शुरुआती रणनीति एवं गतिविधियों का यह अध्ययन किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य

- आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की रणनीतियों एवं स्थिति का आकलन करना।
- केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सूचीबद्ध करना।
- आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों में जन सहभागिता एवं उनके दृष्टिकोण ज्ञात करना।
- केन्द्र का समुदाय के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव का आकलन करना।
- आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के बेहतर संचालन हेतु उपयुक्त सुझाव देना जिससे भविष्य में इन केन्द्रों का बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सके।

अध्ययन पद्धति

इस अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन सोद्देश्य तरीके से बड़वानी, खरगोन तथा धार जिले में स्थापित सभी 10 आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों से किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

बड़वानी, खरगोन तथा धार जिले में स्थापित सभी 10 आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र इस अध्ययन के तहत सम्मिलित किए गए जिनका विवरण निम्नरुप है –

क्र.	जिला	विकासखण्ड	आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र
1.	बड़वानी	राजपुर	जुलवानिया
2.	बड़वानी	बड़वानी	पानवाड़ी
3.	बड़वानी	राजपुर	खजूरी
4.	बड़वानी	ठीकरी	सेमल्दा
5.	खरगौन	गोगावां	बिष्ठान
6.	खरगौन	खरगौन	पिपराटा
7.	खरगौन	कसरावद	सैलानी
8.	खरगौन	महेश्वर	कोगावां
9.	धार	धार	जैतपुर
10.	धार	धार	सादलपुर

तथ्य संकलन की प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार शोध अन्वेषकों द्वारा आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र स्तर पर केन्द्र के प्रेरकों एवं हितग्राहियों से साक्षात्कार तथा ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के सदस्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ औपचारिक चर्चा करके केन्द्र की स्थापना तथा गतिविधियों सम्बन्धी तथ्यों का संकलन किया गया है।

प्रतिदर्श का संघटन

इस अध्ययन में प्रत्येक आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र से 15 हितग्राहियों और इस प्रकार सभी दस लोक शिक्षा केन्द्रों से कुल 150 हितग्राहियों से साक्षात्कार कर उनसे तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई है, इनमें 67 प्रतिशत महिलाएं तथा 33 प्रतिशत पुरूष हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम तथा आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की ज्यादातर हितग्राही महिलाएं हैं। इस कारण इस अध्ययन में स्वभाविक रूप से महिलाओं की संख्या अधिक है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्ययनशील समाज की रचना में आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है। इन केन्द्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बुनियादी साक्षरता/समतुल्यता, कौशल विकास तथा सतत शिक्षा जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के साथ कुछ नवाचारी गतिविधियों द्वारा ग्रामीण लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके तथा सामाजिक सम्मान में बढ़ोत्तरी हो सके।

अध्ययन से उभरे प्रमुख निष्कर्ष यद्यपि प्रेरक साक्षात्कार, अवलोकन तथा केन्द्र के हितग्राहियों से साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त तथ्यों पर आधारित हैं किन्तु इनमें ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के सदस्यों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ चर्चा से उभरे तथ्यों को भी समाहित किया गया है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष का विवरण यहां दिया जा रहा है।

साक्षर भारत कार्यक्रम के अनर्गत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्थापित आदर्श लोक शिक्षा केन्द ग्रमीण जनसमुदाय को सतत अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराने तथा विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों की स्थापना की प्रक्रिया एवं निम्नानुसार रही –

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की प्रक्रिया

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के असाक्षरों को साक्षर बनाने, उनके साक्षरता के स्तर को आगे बढ़ाने तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें इसके लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

की गई है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सहयोग से प्रत्येक केन्द्र पर प्रेरकों की नियुक्ति विज्ञापन निकालकर विकास खण्डवार विकास खण्ड लोक शिक्षा समितियों के माध्यम से की गई थी। प्रेरक चयन के दौरान उन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई जिनकी साक्षरता कार्य में अनुभव तथा रूचि थी।

राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर द्वारा प्रदेश के खरगोन, बड़वानी तथा धार जिले के साक्षर भारत कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तथा ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समितियों के सदस्यों के साथ गहन विचार–विमर्श करके प्रदेश के बड़वानी एवं खरगोन जिलों के 4–4 तथा धार के 2 इस प्रकार कुल 10 केन्द्र को आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया। आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया में जन समुदाय को इन नवाचारी केन्द्रों की स्थापना एवं गतिविधियों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने तथा उनकी सहभागिता प्राप्त करने हेतु गहन जन सम्पर्क तथा विभिन्न दिवसों/उत्सवों जैसे– अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, साक्षरता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जनसंख्या दिवस आदि पर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र का महत्व तथा गतिविधियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया तथा इन केन्द्रों के संचालन हेतु स्थानीय शाला भवन/सामुदायिक भवन को प्राथमिकता दी गई है।

उपरोक्त लोक शिक्षा केन्द्रों के प्रेरकों को शुरूआत में विकास खण्ड लोक शिक्षा समिति द्वारा 3–3 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित होने पर राज्य संसाधन केन्द्र इन्दौर द्वारा पुनः यहां के प्रेरकों को 3–3 दिवस का प्रशिक्षण दिलाया गया। इस प्रशिक्षण में उन्हें आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की अवधारणा तथा नवाचारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर उनकी भूमिका के बारे में उन्हें प्रशिक्षित किया गया। उसके बाद कई एक दिवसीय उन्मुखीकरण भी आयोजित किए गए। प्रेरक केन्द्र की गतिविधियों के संचालन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है। अतः उनके लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण का विशेष महत्व है।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र, विशिष्ट उद्देश्य से नवाचारी केन्द्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इनके द्वारा कई नवाचारी गतिविधियां संचालित की जानी हैं। अभी शुरूआती चरण में इन केन्द्रों द्वारा कुछ गतिविधियां ही आयोजित की गई हैं। इनमें – साक्षरता कक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, सिलाई–कढ़ाई, ब्यूटीशियन कोर्स, कम्प्यूटर साक्षरता, पुस्तकालय, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ तथा अप्रेशनल कार्यक्रम के तहत – स्वास्थ्य एवं वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता तथा मतदाता जागरूकता आदि हैं।

अध्ययन हेतु साक्षात्कार किए गए हितग्राहियों का सामान्य परिचय

क्र.	शैक्षणिक स्थिति	आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के हितग्राही		
		कुल (100%)	पुरूष (33%)	महिला (67%)
1.	असाक्षर एवं अर्धसाक्षर	70 (46%)	21 (42%)	49 (49%)
2.	नवसाक्षर	21 (14%)	6 (12%)	15 (15%)
3.	पूर्व शिक्षित प्रौढ़	30 (20%)	10 (20%)	20 (20%)
4.	स्कूली बच्चे	29 (20%)	13 (26%)	16 (16%)
	कुल	150 (100%)	50 (100%)	100 (100%)

प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि केन्द्र के जिन 150 हितग्राहियों से अध्ययन के दौरान केन्द्र की गतिविधियों में उनकी भागीदारी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है उनमें 67 प्रतिशत महिलाएं हैं, 46 प्रतिशत असाक्षर एवं अर्धसाक्षर प्रौढ़ हैं तथा 14 प्रतिशत नवसाक्षर हैं। साक्षर भारत कार्यक्रम का लक्ष्य समूह तथा केन्द्र की ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। अतः अध्ययन में उनकी अधिकता स्वाभाविक है।

सारणी 3 : केन्द्र के हितग्राहियों की आयु एवं जातिवार वितरण

क्र.	आयु वर्षों में	हितग्राहियों का जातिवार वितरण				
		कुल	अ.जा.	पिछड़ा वर्ग	अ.ज.जा.	सामान्य
1.	9–14	29 (20%)	8 (24%)	12 (18%)	3 (15%)	6 (19%)
2.	15–25	40 (27%)	9 (28%)	18 (27%)	7 (35%)	6 (19%)
3.	26–35	30 (20%)	6 (18%)	16 (24%)	5 (25%)	3 (9%)
4.	36–45	33 (22%)	7 (21%)	14 (21%)	3 (15%)	9 (27%)
5.	46 से अधिक	18 (12%)	3 (9%)	7 (10%)	2 (10%)	6 (18%)
	कुल	150(100%)	33(100%)	67(100%)	20(100%)	30(100%)
		(100%)	(22%)	(45%)	(13%)	(20%)

अध्ययन से पता चलता है कि सभी आयुवर्ग के हितग्राही केन्द्र की गतिविधियों में भाग लेते हैं, इनमें 69 (27+20+22=69) प्रतिशत 15 से 45 आयु वर्ग के हैं। आयु एक ऐसा घटक है जिससे व्यक्ति के विचारों में परिपक्वता आती है। 15 से 45 आयु वर्ग समाज का सबसे अधिक क्रियाशील समूह होता है और किसी नए कार्य को करने तथा परिवर्तनों हेतु उत्सुकता दिखाता है। अतः अध्ययन में इस आयु वर्ग की अधिकता बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन में केन्द्र के 80 प्रतिशत (22+45+13=80) हितग्राही पिछड़े एवं कमजोर वर्गों से हैं जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है।

lkj.kh 4 % vkn'k ykd f'k{kk dUnk d fgrxkfg;k dk O;kolkf;d forj.k

क्र.	व्यावसायिक वितरण	हितग्राही		
		कुल (100%)	पुरूष (33%)	महिला (67%)
1.	कृषि	50 (33%)	18 (36%)	32 (32%)
2.	मजदूरी	34 (23%)	10 (20%)	24 (24%)
3.	ग्रामीण कारीगर	9 (6%)	9 (18%)	–
4.	गृहणी	27 (18%)	–	27 (27%)
5.	अन्य(स्कूली छात्र–छात्राए)	30 (20%)	13 (26%)	17 (17%)
	कुल	150 (100%)	50 (100%)	100 (100%)

केन्द्र के हितग्राहियों में 33 प्रतिशत कृषक, 29 प्रतिशत मजदूर, 18 प्रतिशत गृहणी तथा 20 प्रतिशत स्कूल छात्र–छात्राएं हैं। केन्द्र के 84 प्रतिशत हितग्राही अत्यधिक गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं जिनकी वार्षिक आय 50 हजार रूपये से कम है। इन्हें जीवन की तमाम विसंगतियों का सामना करना पड़ता है तथा परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने हेतु उन्हें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है।

vkn'k ykd f'k{kk dUn dh xfrfof/k;k e fgrxkfg;k dh lgHkkfxrk ,o iHkko

lkj.kh 5 % fgrxkfg;k dh xfrfof/k;k e Hkkxhnkjh

क्र.	गतिविधियां	हितग्राहियों की भागीदारी		
		कुल	पुरूष	महिला
1.	साक्षरता कक्षा	70 (46%)	20 (40%)	50 (50%)
2.	कौशल विकास प्रशिक्षण	105 (70%)	18 (36%)	87 (87%)
3.	पुस्तकालय	114 (76%)	40 (80%)	74 (74%)
4.	खेलकूद, सांस्कृतिक/मनोरंजक गतिविधियों तथा विशेष दिवसों का आयोजन	126 (84%)	30 (60%)	96 (96%)
5.	अप्रेशनल कार्यक्रम	108 (72%)	36 (72%)	72 (72%)
	कुल	150(100%)	50 (100%)	100 (100%)

यह ज्ञात हुआ कि अध्ययन में केन्द्र के जिन 150 हितग्राहियों से साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की गईं उनमें से 84 प्रतिशत ने केन्द्र की सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक एवं विशेष दिवसों पर आयोजित गतिविधियों में भाग लिया है। सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों से न केवल हितग्राहियों का मनोरंजन होता है बल्कि उनका भावनात्मक लगाव होने से इनमें उनकी अच्छी भागीदारी रही है। विशेष दिवसों पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने से समुदाय के लोगों को दिवसों का महत्व तथा अपना जीवन स्तर सुधारने हेतु महत्वपूर्ण

शिक्षा एवं संदेश भी प्राप्त हो रहा है। इन गतिविधियों में भाग लेने से समुदाय के लोगों के आपसी सम्बन्धों में घनिष्ठता बढ़ रही है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि तेजी से बदलते आधुनिक समाज में लोगों की व्यस्तता भरी जिन्दगी में भागमभाग के मध्य मानवीय सम्बन्धों के बीच बढ़ रही दूरी को पाटने तथा सांस्कृतिक जागरूकता लाने में आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र अपना योगदान दे रहे हैं।

76 प्रतिशत हितग्राहियों ने पुस्तकालय का लाभ लिया है। किसी व्यक्ति के विकास में पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन केन्द्रों के हितग्राहियों ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, खेतीबाड़ी एवं पशुपालन, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास तथा विकास योजनाएं, कानूनी साक्षरता और मनोरंजक कहानी, कविता आदि विषयों पर पुस्तकों एवं अन्य पठन–पाठन सामग्री का अध्ययन किया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि केन्द्र के लाभार्थी अपने मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े ऐसे मुद्दों एवं विषयों पर पुस्तकों एवं साहित्य का अध्ययन किया है, जिससे उन्हें लगता है कि इनको पढ़ने से उन्हें लाभ हो सकता है।

70 प्रतिशत हितग्राहियों ने कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लिया है जिनमें अधिकांष महिलाएं हैं। अप्रेशनल गतिविधियों में भी महिलाओं की अच्छी भागीदारी रही है। इन्होंने केन्द्र के माध्यम से सिलाई–कढ़ाई, मेहंदी, कम्प्यूटर साक्षरता तथा ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। केन्द्र की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एक बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से ग्रस्त महिलाएं केन्द्र के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं।

शुरूआती दौर में केन्द्र की गतिविधियों में भाग लेने में महिलाओं को यद्यपि समाज में व्याप्त रूढ़िवादी एवं परम्परावादी विचारधारा के कारण अवरोधों का सामना करना पढ़ रहा है फिर भी वे आगे आकर केन्द्र की गतिविधियों में भाग ले रही हैं। यह उनकी जरूरत भी है। इससे महिलाओं को सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ है। सामूहिक प्रयास द्वारा नया सीखने, करने और आगे बढ़ने के कारण महिलाओं के सशक्तीकरण की बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने से केन्द्र के हितग्राहियों विशेष रूप से महिलाओं की जीवन दशाओं में सुधार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

72 प्रतिशत हितग्राहियों ने अप्रेशनल गतिविधियों एवं विकास योजनाओं – वित्तीय साक्षरता, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जनसंख्या शिक्षा, कानूनी साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता सम्बन्धी गतिविधियों में भाग लेकर जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं

एवं जानकारी प्राप्त किया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र ग्रामीण समुदाय के लोगों विशेषकर वंचित कमजोर वर्गों तथा महिलाओं में जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता लाने तथा उनके कल्याण एवं विकास हेतु बनी योजनाओं एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी तथा सूचनाएं उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से पुस्तक पढ़ने की संस्कृति का विकास हो रहा है। केन्द्र के माध्यम से ग्रामीणों का रूझान पुस्तकों की ओर बढ़ा है। पुस्तक पढ़ने का संस्कार ही देश की सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण करेगा। कई बार पुस्तक की एक लाइन व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है। आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों से जुड़ने से ग्रामीणों में समूह में बैठने, एक साथ मिलकर सीखने तथा आपसी बातचीत और चर्चा द्वारा मिलजुलकर रहने एवं सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है।

आजादी के बाद देश के कर्णधारों का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जिसमें रहने वाले सभी नागरिकों को न्याय और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार हो, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो और सबको समानता का अधिकार मिले। इस दिशा में सरकार द्वारा समाज के पिछड़े कमजोर एवं वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं तथा बच्चों के समुचित विकास के लिए बहुत सारे नियम–कानून बनाए गए हैं और बहुत सारी विकासात्मक योजनाएं संचालित की जा रही हैं किन्तु उचित और पर्याप्त जानकारी के अभाव में वंचित लाभार्थी इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं ले पा रहे थे। आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से इन योजनाओं एवं कानूनों की सूचनाएं एवं जानकारी के प्रचार–प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र वंचितों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके हित में बने कानूनों के प्रचार–प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को न केवल कौशल विकास का अवसर मिलना शुरू हुआ है, बल्कि सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक मंच भी उपलब्ध हुआ है। काफी संख्या में महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर विभिन्न सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों तथा विशेष दिवसों एवं उत्सवों तथा कानूनी जागरूकता पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। परम्परागत भारतीय ग्रामीण समाज में जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों, उत्सवों एवं समारोहों में महिलाओं के भाग लेने पर पाबन्दी रही हो वहां महिला लाभार्थियों का आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों तथा विशेष दिवसों एवं उत्सवों तथा सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी उनके सशक्तीकरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

हमारे देश में महिलाओं पर सदियों से लगी पाबन्दी को समाप्त करने में देश का प्रशासन

और कानून भी असहाय रहा है। आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र इस काम को धीरे–धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण विकास सूचनाओं, कानूनों एवं सामाजिक मुद्दों के प्रति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों तथा महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी तथा जानकारी उन्हें सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने में उन्हें सक्षम बनाएंगी।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र ग्रामीणों को कौशल विकास, कृषि एवं अन्य व्यवसायों के लिए आधुनिक उन्नत तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराकर वित्तीय साक्षरता के माध्यम से उनका बैंकिंग प्रक्रिया से भी परिचय करा रहे हैं। इससे उनके आर्थिक विकास की राह आसान हो रही है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों का एक औपचारिक एवं सामुदायिक केन्द्र के रूप में ग्रामीण समाज से गहरा अन्र्तसम्बन्ध स्थापित हो रहा है। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को कुछ नया सीखने का अवसर मिल रहा है तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वंचितों की भागीदारी बढ़ रही है।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के संचालन में आने वाली प्रमुख समस्याएँ

1. लोक शिक्षा केन्द्रों के बेहतर संचालन हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर दो प्रेरकों का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक महिला होना अनिवार्य है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि क्रमशः कोगांवा, जुलवानिया, सेमलदा तथा पानवाड़ी केन्द्र पर महिला प्रेरक नहीं है तथा खजूरी केन्द्र पर पुरूष प्रेरक कार्य नहीं कर रहा है। प्रेरकों की कमी के कारण इन केन्द्रों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है तथा केन्द्रों का संचालन व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है।
2. प्रेरकों का मानदेय 6 से 21 माह तक न मिलना एक बड़ी समस्या है। खरगोन जिले को छोड़कर बड़वानी तथा धार जिले के प्रेरकों का मानदेय काफी समय से लंबित होने के कारण कार्यरत् प्रेरकों का उत्साह बहुत कम हो गया है, जिसका बुरा असर आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों के संचालन पर पड़ रहा है।
3. अध्ययन में 10 में से 4 केन्द्रों पर महिला प्रेरक के अभाव में महिला हितग्राहियों की उपस्थिति काफी कम रहती है। समाज में व्याप्त रूढ़िवाद और पर्दाप्रथा के कारण केवल पुरूष प्रेरक द्वारा संचालित केन्द्र पर न तो महिला हितग्राही जाना चाहती हैं और न उनके परिवार के लोग भेजना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में योग्य महिला प्रेरक का मिलना भी एक समस्या है।
4. सामाजिक स्तर पर निचले पायदानपर खड़े लोगों की सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचे में प्रौढ़ शिक्षा का चलन न होने से उनको केन्द्र की शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने

में सामाजिक दबाव नकारात्मक है। जबकि अन्य गतिविधियों जैसे – टी.वी. देखने एवं कम्प्यूटर के प्रति उनमें उत्साह और उत्सुकता रहती है जिसके कारण केन्द्र की इन गतिविधियों में उनकी अच्छी भागीदारी रहती है।

5. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरकों को मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई इन्सेटिव न मिलने से भी उनमें असंतोष है। सभी आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरकों का कहना था कि सामान्य लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरक को दिन में 2 से 3 घण्टे ही केन्द्र हेतु देना होते हैं जबकि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरकों को प्रतिदिन केन्द्र की गतिविधियों हेतु लगभग पूरा समय देना पड़ता है। इस मान से उनका मानदेय कम है। इससे भी उनका उत्साह कम है।

6. यद्यपि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों का राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा नियमित मॉनीटरिंग एवं फॉलोअप किया जाता है किन्तु देखने में आया है कि जिला एवं विकास खण्ड लोक शिक्षा समितियां जिनका केन्द्र के प्रेरकों पर प्रशासनिक नियंत्रण है। उस स्तर से केन्द्रों की गतिविधियों तथा प्रेरकों के कार्यों की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग का अपना महत्व है। केन्द्रों की वर्तमान में जिला एवं ब्लाक द्वारा मॉनीटरिंग व्यवस्था का अभाव एक बड़ी समस्या है।

7. अध्ययन में देखने में आया है कि लगभग एक तिहाई (तीन) केन्द्रों पर पुस्तकों तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे – टी.वी., कम्प्यूटर तथा अन्य सामग्री का रख–रखाव एवं समुचित उपयोग नहीं होने से भी केन्द्र की गतिशीलता प्रभावित हो रही है।

8. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों का विकास के अन्य विभागों के साथ समन्वय का अभाव है तथा इस हेतु कोई रणनीति या कार्ययोजना नहीं है।

9. किसी भी केन्द्र के व्यवस्थित संचालन हेतु अभिलेखों का बहुत महत्व है। अध्ययन में देखने में आया है कि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों पर अभिलेख संधारण की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में केन्द्र द्वारा आयोजित गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों की अपेक्षित प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई है। यह भी एक समस्या है।

10. केन्द्रों के बेहतर संचालन एवं प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समितियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है किन्तु ये समितियां सक्रिय नहीं है तथा इनकी बैठकें भी समय पर नहीं हो रही है।

11. केन्द्र के हितग्राहियों का सबसे अधिक आकर्षण कौशल विकास प्रशिक्षण है। इन प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षकों का अभाव एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही अगर प्रशिक्षक मिल भी जाता है तो कौशल विकास के हितग्राही न्यूनतम शुल्क भी अदा करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। यह भी एक कठिन चुनौती है।

12. यद्यपि सभी केन्द्र ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति तथा जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय बना करके शिक्षार्थियों की पहुँच एवं सुरक्षा को

ध्यान में रखकर स्थापित किए गए हैं। इसके बावजूद कुछ केन्द्रों पर गतिविधियों के आयोजन हेतु अतिरिक्त रूम की कमी महसूस की गई है।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के बेहतर संचालन हेतु सुझाव

इक्कसवी सदी में तेजी से आगे बढ़ रहे समाज तथा बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में ग्रामीण समुदाय की शैक्षणिक उन्नति, कौशल विकास तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना निश्चित ही सराहनीय कदम है। इन केन्द्रों द्वारा लोगों को बुनियादी साक्षरता एवं शिक्षा उपलब्ध कराने, उनके हुनर का विकास करने तथा वंचितों में जागरूकता लाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न नवाचारी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा हैं। यह एक चुनौती भरा कार्य है जिसमें कई समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ हैं। यह सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी मंजिल कठिन राहों को तय किए बिना नहीं मिलती है, साथ ही यह भी सत्य है कि उन कठिन राहों को तय करते समय जो अनुभव प्राप्त होते हैं यदि उन्हें अगली यात्रा के साथ जोड़ दिए जाए तो राहें कुछ आसान हो सकती हैं। अतः आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के संचालन में आनेवाली समस्याओं एवं अवरोधों को सूचीबद्ध किया गया है। इन समस्याओं का प्रभाव कम करने या केन्द्रों के बेहतर संचालन हेतु निम्नानुसार सुझाव दिए जा रहे हैं –

1. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों का बेहतर संचालन प्रेरकों की उपलब्धता एवं उनकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती। अध्ययन से पता चालता है कि 10 में से पांच केन्द्रों पर एक–एक प्रेरक का पद रिक्त है जिन पर शीघ्र योग्य प्रेरक की नियुक्ति अपेक्षित ही नहीं बल्कि केन्द्र के बेहतर संचालन हेतु अपरिहार्य है। अतः इन केन्द्रों पर शीघ्र ही नए प्रेरकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन प्रेरकों की कार्यक्रम के प्रति अवधारणात्मक स्पष्टता तथा केन्द्रों के समुचित संचालन हेतु प्रेरकों के बेहतर प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन का कार्य सतत होते रहना चाहिए, विशेष रूप से नए प्रेरकों को लिए।

2. प्रेरकों को मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। इससे उनका मनोबल टूटता है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों पर संचालित होने वाली गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की सफलता की दृष्टि से प्रेरक की प्रतिबद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। उनका उत्साह और मनोबल बना रहे इसके लिए आवश्यक है ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाए जिससे केन्द्र की गतिविधियों को संचालित करने वाले प्रेरकों को मानदेय राशि का भुगतान नियमित रूप से मिल सके तथा उनका उत्साह बना रहे।

3. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरक सामान्य लोक शिक्षा केन्द्रों के प्रेरक की अपेक्षा केन्द्र हेतु अधिक समय देते हैं, फिर भी दोनों का मानदेय बराबर होने से आदर्श लोक

शिक्षा केन्द्र के प्रेरकों में असंतोष है। अतः आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरकों को गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करने एवं उत्साहित करने हेतु इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि उनके मानदेय में संभव बढ़ोत्तरी की जाए या कोई अन्य प्रोत्साहन दिया जाए।

4. यद्यपि राज्य संसाधन केन्द्र स्तर से आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है, फिर भी जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों का केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण होने से अपना महत्व है। अतः जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की नियमित मॉनीटरिंग किया जाना आवश्यक है।
5. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की मॉनीटरिंग हेतु शासन के अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कार्मचारियों को भी जोड़कर सप्ताहिक/मासिक मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सकती है। शासन के अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा केन्द्रों की मॉनीटरिंग करने से प्रेरकों को इन अधिकारियों का सतत सहयोग और मार्गदर्शन मिल सकेगा। इससे केन्द्र की गतिविधियों के संचालन में गतिशीलता आएगी।
6. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों को उपलब्ध कराए गए भौतिक/इलेक्ट्रानिक एवं शैक्षणिक संसथान का समुचित व्यवस्थापन तथा रखरखाव कर उनका अधिकतम सदुपायोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस हेतु केन्द्र की गतिविधियों की मासिक अथवा त्रैमासिक गतिविधि केलेण्डर तैयार किया जाना चाहिए।
7. शासन के विभिन्न विभागों का आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के साथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य एवं जिले स्तर से प्रयास किए जाने होंगे। आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों के संचालन में जिले के प्रशासकीय तंत्र का सहयोग बहुत जरूरी है क्योंकि शासन के विभिन्न विभागों में जिले स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक एक बड़ा अमला है जिनके पास लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम होते हैं और उनके क्रियान्वयन का अनुभव भी उनके पास है। प्रेरकों को अपने केन्द्र की गतिविधियों के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर इन विभागों के अधिकारियों एवं स्थानीय कर्मचारियों का सहयोग मिलने से वह अपने केन्द्र की गतिविधियों का संचालन बेहतर ढंग से कर सकता है।
8. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों की अवधारणात्मक समझ विकसित करने हेतु प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण मात्र प्रेरकों तक सीमित न रखते हुए जन प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विकास एजेन्सियों के क्षेत्रीय अमले के लिए भी उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए जिससे उनका प्रेरकों के साथ बेहतर समन्वय हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर वे प्रेरकों के उचित सहयोग और मार्गदर्शन दे सके।
9. सभी आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों पर विद्युत गुल होने की दशा में सायंकालीन गतिविधियों के निर्बाध संचालन हेतु प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल होना एक आम समस्या है।

10. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से न केवल कानूनी प्रावधानों तथा विकास योजनाओं सम्बन्धी सूचनाएं एवं जानकारी देने का कार्य किया जाए बल्कि लोगों को संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के टेलीफोन नंबर एवं पते भी उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार विभिन्न आवेदन पत्र एवं फार्म जैसे – बैंक, डाकघर के बचत फार्म, राशन कार्ड से संबंधित फार्म, वृद्धावस्था एवं निराश्रित पेन्शन फार्म, मनी ऑर्डर फार्म, निवास, आय एवं जाति प्रमाण बनने हेतु आवश्यक प्रपत्र/फार्म, जमीन से संबंधित खसरा नकल का फार्म आदि उपलब्ध कराकर आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों को समुदाय में अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

11. अध्ययन के समय देखने में आया है कि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों पर अभिलेखीकरण हेतु पर्याप्त रजिस्टर उपलब्ध है किन्तु उनमें केन्द्र की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं तथा आंकड़े व्यवस्थित तरीके से दर्ज नहीं किए गए हैं। अभिलेखों का व्यवस्थित होना केन्द्र के व्यवस्थित संचाललन हेतु महत्वपूर्ण है। साक्षर भारत कार्यक्रम में व्यवस्थित अभिलेखीकरण तथा सूचना तंत्र विकसित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है जिससे कि आवश्यकतानुसार केन्द्रों से प्रासंगिक जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सके और सभी हितधारकों को केन्द्र की गतिविधियों से अवगत कराया जा सके। इस हेतु निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर अभिलेख तैयार करने हेतु सुझाव है –

अभिलेखीकरण के प्रमुख बिन्दु

1. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों जैसे – बुनियादी साक्षरता, बेसिक शिक्षा (समतुल्यता), कौशल विकास एवं सतत शिक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों – पुस्तकालय एवं वाचनालय संचालन, सूचनाओं का आदान–प्रदान, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा चर्चा मण्डल आदि संबंधी समस्त जानकारियों एवं आंकडों का नियमित और व्यवस्थित अभिलेख तैयार करना,
2. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र पर मनाए जाने वाले विशेष दिवसों, उत्सवों एवं पर्वों जैसे – अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, महिला दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, पर्यावरण दिवस आदि पर आयोजित कार्यक्रम एवं जनभागीदारी का अभिलेख तैयार करना,
3. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से साक्षर हुए नवसाक्षरों, समतुल्यता के लाभार्थियों तथा कौशल विकास के लाभार्थियों एवं स्वयंसेवकों संबंधी सफलता की कहानियों का अभिलेख तैयार करना,

4. आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र के प्रबंधन हेतु गठित ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति की बैठकों के मिनिट्स एवं लिए गए निर्णयों का अभिलेख तैयार करना,

5. केन्द्र की गतिविधियों की मॉनीटरिंग हेतु आए अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों तथा आगन्तुकों के आगमन तथा उनकी टिप्पणियों को संधारित कर उनके सुझावों को अमल में लाना,

6. लोक शिक्षा केन्द्र पर वित्तीय आय–व्यय का व्यवस्थित अभिलेख तैयार करना,

7. लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरकों एवं सहायत प्रेरकों को अपनी डायरी संधारित करनी चाहिए जिसमें उन्हें समय–समय पर उच्चाधिकारयों तथा ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझाओं एवं निर्देशों तथा समित की बैठकों से प्राप्त निर्देशों– मॉनीटरिंग के सुझाव तथा प्रतिदिन के कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा लिखना,

8. आगामी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को आयोजित करने हेतु केन्द्रवार कार्ययोजना तैयार करना,

9. लोक शिक्षा केन्द्र द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों तथा प्राप्त होने वाले पत्रों एवं आदेशों–निर्देशों को आवक–जावक रजिस्टर में प्रविष्टी दर्ज कर उनका समुचित व्यवस्थापन करना ताकि आवश्यकतानुसार उनका सन्दर्भ लिया जा सके।

आदर्श लोक शिक्षा केन्द्रों पर पुस्तकों के अलावा, दैनिक समाचार–पत्र, सामयिक पत्रिकाएं एवं नवसाक्षर अखबार आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर उन्हें अधिक आकर्षक और लोकप्रिय बनाया जा सकता है। ऐसी संभावना हो सकती है कि आदर्श लोक शिक्षा केन्द्र का कोई हितग्राही कोई नई उपलब्धि केन्द्र के माध्यम से हासिल कर ले, जिससे उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अमूल–चूल परिवर्तन आ जाए।

क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा ? यही वह विचार है, जो मुझे चिन्ता से भर देता है। इस तथ्य का एहसास होने के बाद यह चिन्ता और भी गहरी हो जाती है कि जाति व धर्म के रुप में हमारे पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमारे यहां विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनैतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने मताग्रहों से उपर रखेंगे या उन्हें देश से उपर समझेंगे? मैं नहीं जानता। परन्तु यह तय है कि यदि पार्टियां अपने मताग्रहों को देश से उपर रखेंगी तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वह हमेशा के लिए खो भी जाए। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभाव्यता से बचना होगा। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी।

– डॉ. भीमराव अंबेडकर

सेमेस्टर प्रणाली के प्रति उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन

–शमीम आरा हुसैन

शिक्षा की समझ एवं उदेश्य समान होते हुए भी सम्पूर्ण विश्व में शिक्षा की कोई समान व्यवस्था लागू नहीं है। नए–नए तथ्यों व संकल्पनाओं के आने के कारण शिक्षा–शास्त्री विषय वस्तु को पढाने के लिये नई–नई विधियों का आविष्कार करते हैं। प्रत्येक नई विधि के साथ उसके मूल्यांकन हेतु भी उचित व्यवस्था करना आवश्यक एवं जटिल कार्य होता है।

मायरोन ट्राइबस (1994) के अनुसार – शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने हेतु असंख्य अच्छे विचार एवं शोध सुझाव प्राप्त होते हैं। चुनौती उन असंख्य सुझावों में से किसी एक का चयन करना नहीं है, अपितु चयनित विधि/क्रिया के प्रति उचित दृष्टिकोण एवं समझ का विकास करना है।

विभिन्न पद्धतियों के समान शिक्षा में सेमेस्टर प्रणाली का आगमन भी अनेक शोध सुझावों का परिणाम है। सेमेस्टर प्रणाली एक शैक्षणिक शब्द है। इसमें शैक्षणिक सत्र का विभाजन किया जाता है। आज हमारे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सेमेस्टर में पूर्ण शैक्षणिक सत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कई बार ट्राइमेस्टर या क्वार्टर सेमेस्टर में भी शैक्षणिक सत्र का विभाजन किया जाता है। शाब्दिक रूप से देखें तो सेमेस्टर का अर्थ है 'छः माह का कालांश अथवा समय'।

सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य

सेमेस्टर प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास करना।
2. विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।
3. विद्यार्थियों को आत्म सुधार के समुचित अवसर प्रदान करना।
4. इकाई परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अवसर प्रदान करना।
5. विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में वर्षभर अन्तर्क्रिया को बढ़ावा देना।

सेमेस्टर प्रणाली के लाभ

सेमेस्टर प्रणाली के अनेक फायदे हैं जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं –

1. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक भावना का विकास कर उन्हें भविष्य में एक बेहतर समाज रचना विकसित करने के लिये तैयार किया जा सकता है।
2. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा विद्यार्थी वर्ष भर पुस्तकों के सम्पर्क में रहते हैं जिससे उनमें अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास होता है।
3. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा विद्यार्थी वर्ष भर सक्रिय रहते हैं।
4. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा केवल परीक्षा के समय पढ़ाई करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।
5. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा शिक्षण एवं मूल्यांकन के मध्य निरन्तरता बनी रहती है।
6. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा नियमितता बढ़ती है।
7. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी त्रुटि पहचान कर अगले सेमेस्टर में सुधार करने के अवसर प्राप्त होते हैं।
8. सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तुलना में असफल विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है।
9. सेमेस्टर प्रणाली में विषय चयन में लचीलापन होने के कारण विद्यार्थी अपनी रुचि के विषयों का चयन कर सकते हैं।
10. सेमेस्टर प्रणाली में विद्यार्थियों के साथ–साथ शिक्षकों को भी निरन्तर सक्रिय रहना होता है। सेमेस्टर प्रणाली में दत्त कार्य तथा परियोजना कार्यों के द्वारा विद्यार्थियों में गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है।

सेमेस्टर प्रणाली के दोष

सेमेस्टर प्रणाली में निम्नलिखित दोष शामिल दिखते हैं–

1. सेमेस्टर प्रणाली में समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण कक्षाएं अथवां अकादमिक सत्र समय पर प्रारम्भ नहीं हो पाता है।
2. दो सेमेस्टर के मध्य पर्याप्त अन्तर न होने के कारण शिक्षक एवं विद्यार्थी अगले सेमेस्टर हेतु पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाते हैं।
3. शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर कार्य का भार अधिक होता है।
4. अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान न होने के कारण पिछड़े विद्यार्थियों की उपेक्षा होती है।
5. विद्यार्थियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है।
6. भारत जैसे विकासशील देश में सभी महाविद्यालयों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन्टरनेट आदि सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

7. आन्तरिक मूल्यांकन में पक्षपात की संभावना अधिक होने के कारण विद्यार्थी कई बार अभिप्रेरित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार सेमेस्टर प्रणाली के लाभ के साथ–साथ अनेक दोष भी हैं।

औचित्य

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है – विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, इसके लिए विद्यार्थियों की जन्मजात शक्तियों एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। अतः शिक्षा योजना बनाते समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर एवं क्षमताओं को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ–साथ उनके स्तर एवं क्षमताओं का मूल्यांकन भी आवश्यक होता है।

प्रस्तुत समस्या पर अनेक शोधकार्य हो चुके हैं जैसे – सिन्हा (1977) ने शैक्षणिक मूल्यांकन पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया, रसेल एवं परमार (1981) ने आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षकों का विद्यार्थियों की उपलब्धि पर प्रभाविता का अध्ययन किया, मल्होत्रा एवं जोशी (1990) ने परीक्षा प्रणाली पर अध्ययन किया, रेड्डी (1997), शाह (1972) तथा शर्मा (1981) ने विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रणालियों का अध्ययन किया, लुल्ला (2005) ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली तथा सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का अध्ययन किया तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को वार्शिक परीक्षा प्रणाली की तुलना में प्रभावी पाया। जॉनसन,ली तथा जैसिका (2014) में विद्यार्थियों के अभिप्रेरण पर सेमेस्टर प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन किया तथा सेमेस्टर प्रणाली को प्रभावी पाया।

उपरोक्त कथनों तथा पूर्व शोधों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि, सेमेस्टर प्रणाली की प्रभाविता पर अल्प शोधकार्य हुए हैं तथा इस क्षेत्र में और शोधकार्य की आवश्यकता है। अतः शोधार्थी को सेमेस्टर प्रणाली के प्रति उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण के अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित हुई।

समस्या कथन

प्रस्तुत शोध का समस्या कथन था – सेमेस्टर प्रणाली के प्रति उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य था – उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का सेमेस्टर प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

प्रविधि

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध हेतु शोधार्थी द्वारा इन्दौर तथा अन्य शहरों के 40 विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया था। ये सभी विद्यार्थी निम्न–मध्यम सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले थे। इनकी मातृभाषा हिन्दी थी। इनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच की थी।

प्रदत्त संकलन

प्रदत्त संकलन उपकरण हेतु शोधार्थी द्वारा हिन्दी भाषा में विकसित पांच बिन्दु मापनी का उपयोग किया गया था, जिसमें सेमेस्टर प्रणाली से सम्बन्धित 30 सकारात्मक एवं नकारात्मक कथन थे।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रदत्त विश्लेषण हेतु माध्य (Mean) सांख्यिकी का उपयोग किया गया।

परिणाम एवं चर्चा

इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सेमेस्टर प्रणाली के प्रति उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य के प्रदत्त विश्लेषण हेतु माध्य (Mean) सांख्यिकी का उपयोग किया गया था, जिसके परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं–

कथन तथा कथन के माध्य मान दर्शाती तालिका

क्र.	कथन	माध्य मान (M)
1	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव है।	0.95
2	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न होती है।	0.80
3	सेमेस्टर प्रणाली में समय अधिक लगता है।	0.99
4	सेमेस्टर प्रणाली हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है।	0.67
5	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों में आत्म–विश्वास बढ़ता है।	0.98
6	सेमेस्टर प्रणाली विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में बाधक है।	0.95
7	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास नहीं होता है।	0.50
8	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा उच्च एवं निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में विभेदन करना संभव नहीं है।	0.87
9	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा वर्ष भर विद्यार्थियों को सक्रिय रखा जा सकता है।	0.75
10	सेमेस्टर प्रणाली ऊर्जा एवं पैसों की दृष्टि से खर्चीला है।	0.52

11	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा समस्त विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्राप्त होती है।	0.85
12	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा पक्षपात की संभावना कम हो जाती है।	0.85
13	सेमेस्टर प्रणाली से पालक अपने बच्चों की प्रगति पर दृष्टि रख बाधाएं दूर कर सकते हैं।	0.85
14	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास संभव है।	0.45
15	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है।	0.75
16	सेमेस्टर प्रणाली हेतु योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों का मिल पाना कठिन कार्य है।	0.80
17	सेमेस्टर प्रणाली हेतु महाविद्यालयों में सभी सुविधाएं उपलब्ध होना संभव नहीं है।	0.90
18	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगामक पक्षों का विकास संभव नहीं है।	0.50
19	सेमेस्टर प्रणाली की सहायता से विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है।	0.87
20	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा पालकों की अपने बच्चों से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं।	0.92
21	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है।	0.70
22	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की रुचि ज्ञात कर उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है।	0.97
23	सेमेस्टर प्रणाली में विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।	0.85
24	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है।	0.80
25	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर कार्य करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं।	0.67
26	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है।	0.67
27	सेमेस्टर प्रणाली में विषयों की अधिकता होती है।	0.77
28	सेमेस्टर प्रणाली में समय पर परिणाम नहीं आ पाते हैं।	0.67
29	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों में निराशा उत्पन्न होती है।	0.70
30	सेमेस्टर प्रणाली द्वारा दूरस्थ शिक्षा का सेचालन कठिन कार्य है।	0.78
	माध्य मानों का माध्य	**0.76**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तालिका में सेमेस्टर प्रणाली से सम्बन्धित 30 कथनों में से कथन क्रमांक 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 25 तथा 26 सकारात्मक कथन हैं, जबकि कथन क्रमांक 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29 तथा 30 नकारात्मक कथन हैं। सकारात्मक कथनों के पूर्णतः सहमत एवं सहमत विकल्पों के लिये माध्य परास 0.60 – 0.95 है, जबकि नकारात्मक कथनों के पूर्णतः असहमत एवं असहमत विकल्पों के लिय माध्य परास 0.45 – 0.97 है, जिससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर सेमेस्टर प्रणाली सकारात्मक रूप से प्रभावी पाई गई।

आगे तालिका से स्पष्ट है कि समस्त कथनों के माध्य का कुल माध्य मान 0.75 प्राप्त हुआ जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का सेमेस्टर प्रणाली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होने पर बल देता है, इसकी पुष्टि मल्होत्रा एवं जोशी (1990), शाह (1972) , शर्मा (1981) तथा लूल्ला (2005) के अध्ययन से होती है।

अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का सेमेस्टर प्रणाली के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा उच्च शिक्षा में सेमेस्टर प्रणाली सफलता पूर्वक लागू की जा सकती है।

संदर्भ

हिन्दी

1. पाल. एच. आर तथा शर्मा, एम. : मापन, आकलन एवं मूल्यांकन. दिल्ली : क्षिप्रा प्रकाशन, 2009।
2. पाल. एच. आर. : प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान. दिल्ली : हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2006।

अंग्रेज़ी

1. Buch.M.B. (ed): A Survey of Research in Education, Baroda: Centre of Advanced Study in Education, 1974.
2. Buch. M.B. (ed): Third Survey of Research in Education (1978-1983), New Delhi: NCERT, 1986.
3. NCERT: Sixth Survey of Research in Education (1993-2000) Vol.I and Vol.II, New Delhi, NCERT, 2000.
4. Bhatnagar, S.: Indian Education, Today and Tomorrow, Meerut: International Publishing House, 1993.
5. Bhatia.K.K. at.el.: Modern Indian Education and its Problems: Jalandhar: Prakash Brothers Educational Publishers,1989.
6. Pal, H.R.: A Study of Various Aspects of School Adjustment in Relation to General Intelligence & Sex, Unpublished M.Ed.Dissertation, Indore University,1976.
7. Pestonjee, D.M.: Third Handbook of Psychological and Social Instruments Vol.II. New Delhi: Concept Publishing Company, 1997.
8. Thomas, S. and Pandya, S.: Education and Gender Debate, New Delhi: APH Publishing Corporation, 2011.

> एक अनैतिक मनुष्य समृद्धि प्राप्त करता है। उसे वह सब मिलता है, जो अभीष्ट प्रतीत होता है। वह शुत्रओं पर विजय प्राप्त करता है, परंतु अपने ही मूल में नष्ट होता जाता है।
>
> – कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर

शिक्षा में संपूर्ण सुधार का इंतजार
एक शिकायत समान शिक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने में हो रही देरी पर

– प्रेमपाल शर्मा

केन्द्र सरकार के अधीन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के कुछ हालिया फैसले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, 2016 समाप्त होते – होते इस बोर्ड ने फैसला किया कि वर्ष 2018 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा फिर से आरंभ होगी। विदित है कि सन् 2011 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने का फैसला विद्यार्थियों और स्कूलों के ऊपर छोड़ दिया गया था, आशय यह था कि विद्यार्थी इस परीक्षा को विवशता में देने को मजबूर न हों। पर यदि वे इसके लिए प्रस्तुत हों अथवा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को परखना चाहते हों तो परीक्षा दे सकते थे। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो छात्रों एवं विद्याालयों ने अपने आप को इस परीक्षा से किनारा सा कर लिया। परिणामतः बोर्ड की परीक्षा लगभग समाप्त ही हो गयी थी।

दूसरा फैसला जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है आठवीं तक किसी भी छात्र को फेल न करने की नीति में बदलाव करने का फैसला। ज्ञात है कि बोर्ड परीक्षा से कई गुणा ज्यादा परेशानियां और विवाद आज फेल न करने की नीति पर हो रहा है। पिछले कई वर्षों से देश के कई राज्यों जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सहित अठारह राज्य शामिल हैं, इस नीति में बदलाव की मांग कर रहे थे। बीच–बीच में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भी केन्द्र सरकार से तुरन्त शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई) में बदलाव की गुहार लगाई। हाल में देश के लगभग तीन सौ प्रधानाचार्यों के साथ मिल – बैठकर फिर से इसके पक्ष – विपक्ष में राय जानी गई और तब पूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से आरटीई में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया गया। केन्द्र साकार द्वारा गठित पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने बीते साल अपनी रिपोर्ट में फेल न करने की नीति को बदलने की सलाह दी थी। उम्मीद है इस पूरे विमर्श के बाद चौथी कक्षा तक फेल न करने की नीति यथावत रहेगी और पांचवी से आठवीं तक बच्चों को परीक्षा पास करने के उपरान्त ही अगली कक्षा में भेजा जाएगा। इस नीति में भी यथानुकूल सुधार किए गए हैं जैसे हर बच्चे को तीन बार मौका देना जिससे कि वह आवश्यक अर्हता सक्षमता प्राप्त कर ले। साथ ही स्कूल विशेष पढ़ाई का इंतजाम भी करेंगे ताकि इच्छुक छात्र अपनी उपलब्धियों को बेहतर बना सकें। देखा जाए तो यह पुरानी प्रणाली को ही और बेहतर बनाने की कोशिश है।

यह सभी जानते हैं कि पहले बच्चे बोर्ड परीक्षा में फेल–पास की चक्र से बेहद घबराते थे और कई बार कच्ची उम्र में मानसिक हताशा और हीनभावना के शिकार हो जाते थे। बच्चों को फेल न करने की नीति के पीछे एक सदिच्छा यह थी कि गरीब, साधनहीन और वंचित

तबकों के बच्चे जो फेल होने के बाद अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं, उन्हें फेल होने के डर से निजात दिलाई जा सके जिससे कि वे बच्चे भी लगातार आगे बढ़ते हुए कम से कम आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर लें। पर इसके साथ ही एक सवाल शैक्षिक गुणवत्ता का भी था।

यह सभी जानते हैं कि परीक्षा में फेल होने का दबाव छात्रों एवं अभिभावकों दोनों के उपर होता है जिसके कारण छात्र कुछ न कुछ तो अवश्य ही सीखते हैं लेकिन परीक्षा के अभाव में शैक्षिक गुणवत्ता का क्या होगा ? इसके लिए विकल्प के तौर पर 'सतत एवं पूर्ण मुल्यांकन' (सीसीई) का प्रावधान किया गया लेकिन न तो उसके अनुपालन की तैयारी और प्रशिक्षण स्कूलों के पास थी और न ही सरकार के पास। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी तेजी से गिरी और अनुशासन भी बिगड़ा। सरकारी स्कूल तो खास तौर पर अव्यवस्था के शिकार हो गए। नए बदलाव से सभी के हितों का संवर्द्धन होने की उम्मींद की जाती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भाषा नीति में है। तीन भाषा सूत्र अब दसवीं तक लागू होगा। अभी तक यह आठवीं कक्षा तक ही लागू था और वह भी बेमन से। नई नीति के तहत मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी सभी के लिए दसवीं तक अनिवार्य होगी। तीसरी भाषा के रुप में उत्तर के छात्र दक्षिण की कोई भाषा पढ़ेंगे। विदेशी भाषा जैसे जर्मन, चीनी, रुसी चौथी भाषा के रुप में पढ़ने की छूट होगी। इससे मातृभाषाएं भी समृद्ध होंगी और हिन्दी को राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रुप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा हो कि भाषा के मुद्दे पर राजनीति न करके उत्तर, दक्षिण के राज्य मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। भारतीय भाषाएं शिक्षा और समाज के हित में मिलकर ही अंग्रेजी के अनावश्यक वर्चस्व का मुकाबला कर सकती हैं। वक्त की जरुरत को देखते हुए अंग्रेजी को अछूत नहीं माना जा सकता, लेकिन उसके आधिपत्य से बचने की आवश्यकता है।

एक और निर्णय उल्लेखनीय है और वह है प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा का फैसला। हालांकि इस पर कम ध्यान गया है, लेकिन प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा का फैसला सचमुच सराहनीय कदम है। अभी तक का अनुभव यहीं रहा है कि निजी स्कूलों में प्राचार्य पद बिना योग्यता के पुत्र, पुत्री या अन्य निकट संबंधियों को दे दिया जाता है। ऐसा होना किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सुधारों की प्रक्रिया का पक्ष भी जान लेना जरुरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फैसले पर केंद्र सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय कानून मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करके नए नियम जारी करेगा, लेकिन उन पर संसद की मुहर लगनी जरुरी है।

फेल न करने की नीति, दसवीं की बोर्ड परीक्षा, सीसीई आदि शिक्षा अधिकार कानून, 2009 से बंधे हैं। यह कानून पहली अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। उम्मीद है कि संसद में इस

कानून में संशोधन संबंधी विधेयक के पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योकि अधिकांश राज्यों की ऐसी मांग कई वर्षों से रही है। केन्द्र सरकार और संसद के पास पूरे देश और समाज के हित में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लेने का भी मौका है। आरटीई अधिनियम अच्छा है, लेकिन यह समानता के बुनियादी सिद्धान्तों पर खरा नहीं उतरता। इसमें गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलो में 25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान जरुर है, मगर अल्पसंख्य स्कूलों को न जाने क्यों इससे बाहर छोड़ दिया गया है ? भेदभाव की ऐसी नीतियां सामाजिक असंतोष को जन्म देती हैं। जब शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है तो अल्पसंख्य और बहुसंख्यक की शिनाख्त क्यों ? एक सवाल यह भी है कि जम्मू–कश्मीर शिक्षा अधिकार कानून से बाहर क्यों है? अच्छी बातों को स्वीकारने में भी आपत्ति क्यों ? देश के जाने माने शिक्षाविद् अनिल सद्गोपाल और उनके साथी लगातार यह मांग करते रहे हैं कि शिक्षा अधिकार कानून को दसवीं तक प्रभावी बनाया जाए। यह स्पष्ट ही है कि इसके पहले इस कानून को और दुरुस्त करने की जरुरत है।

अब जब शिक्षा अधिकार कानून में संशोधन के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो फिर सरकार की दूरदर्शिता और निर्णयात्मकता इसी में है कि सभी जरुरी सुधार उसमें शामिल किए जाएं। सबसे अच्छा तो यह होगा कि समान शिक्षा की ओर कुछ और ठोस कदम बढ़ाए जाएं। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त 2015 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस पर चुप्पी साधे रही। केन्द्र सरकार इस मामले में पहल करके शिक्षा की पूरी तसवीर बदल सकती है। मौजूदा नियम–कानून न तो निजी स्कूलों को फीस बढाने से रोकते हैं और न ही मातृभाषाओं को पीछे करके विदेशी भाषा पढ़ाने से। ऐसा न हो सके, इसके लिए सचमुच कदम उठाए जाने चाहिए। सुब्रमण्यम समिति की कुछ सिफारिशों को तुरंत ठंडे बस्ते से निकाल कर अमल में लाने की जरुत है। यह ठीक नहीं कि वर्तमान सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन शिक्षा के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। स्पष्ट है कि सरकार और विशेष रुप से मानव संसाधन मंत्रालय को इस मामले में तेजी दिखानी होगी।

कोई भी सरकार नियंत्रणमुक्त नहीं होनी चाहिए, जहां प्रेस स्वतंत्र होगी, वहां कभी कोई नियंत्रण मुक्त होगा भी नहीं। अगर सरकार स्वच्छ होगी तो उसे आक्रमण एवं बचाव के निष्पक्ष कार्य प्रणाली से डरने की जरुरत नहीं है। प्रकृति ने इंसान को सच्चाई चाहे धर्म, विधि अथवा राजनीति की ही क्यों न हो, पृथक करने का कोई अन्य माध्यम नहीं दिया है। मेरे विचार में सरकार को इसके चाटुकारों अथवा आलोचकों के बारे में न तो जानना और न ही उन पर ध्यान देना चाहिए। यही उसके लिए सम्मानजनक होगी क्योंकि चाटुकारों को खुश करना तथा आलोचकों को तगं करना अमर्यादित एवं अपराध होगा।

— थॉमस जेफरसन

प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की उपलब्धि पर प्रेरण के प्रभाव का अध्ययन

– उमेश चमोला

शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच चलने वाली पारस्परिक अंतःक्रिया का नाम है। विश्व शब्दकोश के अनुसार ''शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति ज्ञान, दक्षताओं और अभिवृत्तियों की उपलब्धि में दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है।'' स्पष्ट है कि कक्षा–कक्ष में यह दो व्यक्ति शिक्षक और शिक्षार्थी हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी ने क्या अर्जित किया? यह शिक्षक की योग्यता, बौद्धिक स्तर और शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयुक्त शिक्षण पद्धति पर निर्भर करता है।

समस्या की उत्पत्ति एवं चयन

कक्षा में एक योग्य शिक्षक सभी शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान के सृजन हेतु एक वातावरण का निर्माण करता है किन्तु व्यावहारिक स्तर पर सभी शिक्षार्थी समान रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं और इस लिए उनकी उपलब्धि का स्तर भिन्न–भिन्न होता है। एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी विशिष्ट योग्यता प्रदर्शित करते हुए उच्च उपलब्धि प्राप्त करते हैं। जबकि अन्य विद्यार्थी ज्ञान के सृजन में पीछे रह जाते हैं। परिणामतः उनमें आत्महीनता की भावना का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए पृथक रूप से विशिष्ट कक्षाओं के संचालन की आवश्यकता सि़द्ध होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि इन कक्षाओं में केवल मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थी ही भाग लें तथा इनका संचालन विशिष्ट योग्यता वाले शिक्षकों द्वारा विशिष्ट शिक्षण पद्धति के प्रयोग से ही किया जाए। विशिष्ट कक्षाओं का प्रयोग मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए तब तक किया जा सकता है जब तक वे अन्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए अपनें आप को तैयार कर लें।

मंद गति से सीखने वाले बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते किन्तु यदि उन्हें उत्तर के संबंध में कोई संकेत दिया जाए तो वे उत्तर देने में सरलता अनुभव करते हैं। शिक्षण पद्धति के रूप में प्रोम्पटिंग की अवधारणा इसी तथ्य पर आधारित है। प्रोम्पटिंग की पद्धति में शिक्षार्थियों को प्रश्न के साथ–साथ उत्तरों के संबंध में संकेत भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न 'भारत की राजधानी कहां है?' तो उत्तर के साथ 'दि..........' का संकेत दिया हो तो संभव है कि इस प्रकार के बच्चे सहजता के साथ उत्तर दे सकें।

क्या वास्तव में प्रोम्पटिंग मंद गति से सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि को प्रभावित करता है ? यह ज्ञात करने के लिए मंद गति से सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि पर प्रोम्पटिंग के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

मंद गति से सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि एवं उनके व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं कई शोधकर्ताओं के अध्ययन के विषय रहे हैं। एम. के. हुसैन (1980), लक्ष्मण प्रकाश गुप्ता (1978), ब्रूंनिनक्स और फेल्डमेन (1970), बसु (1958, 1965), विश्वास (1954, 1965), ड्यूट्श (1965) एवं सुजाता (1986) आदि के अध्ययन मंद गति से सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि एवं उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं तक सीमित हैं। मंद गति से सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि पर अधिकांश अध्ययन विदेशों में किया गया है। टी. शाई तथा उनके सहयोगियों (2013) ने ताइवान के 118 बच्चों को अध्ययन हेतु 62 तथा 56 बच्चों के समूह में बांटा। 62 बच्चों के समूह को विज्ञान समाचार पढ़ाने के संबंध में प्रोम्पटिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया जबकि 56 बच्चों के समूह को प्रोम्पटिंग से मुक्त रखा गया। प्रोम्पटिंग समूह के बच्चों में विज्ञान समाचार पढ़ने की गति और उच्चारण शुद्धता में वृद्धि देखने को मिली। डैनिस आर नैपक्जिक और गैरी लिविंगस्टोन (1973) ने ब्लूमिंगटन के जूनियर हाई स्कूल के ऐसे बच्चों का अपने शोध के लिए चयन किया जो शिक्षण के समय प्रश्न नहीं पूछते थे। 50 मिनट की कक्षाओं में प्रोम्पटिंग के प्रयोग से उन बच्चों में पढ़ने की गति में वृद्धि तथा प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति का विकास देखा गया।

मिन्डिस एलेन्जर (2015) ने वरजीनिया के दो विद्यालयों के कक्षा 4 और 5 के 137 बच्चों पर अंग्रेजी के शब्द और वाक्यों को लिखने और पढ़ने के संबंध में प्रोम्पटिंग का प्रयोग किया। प्रोम्पटिंग से इन बच्चों की भाषागत उपलब्धि में सुधार देखने को मिला। लिण्डा बल, शना प्रिबेश और उनके सहयोगियों (1973) द्वारा स्नातक स्तर के 87 जीवविज्ञान के विद्यार्थियों को परीक्षण से पहले प्रोम्पटिंग के रूप में निर्देश ई मेल के माध्यम से भेजे गए। अन्य विद्यार्थियों को निर्देश नहीं भेजे गए। जिन विद्यार्थियों को निर्देश भेजे गए उनकी उपलब्धि अधिक देखी गई।

अध्ययन का औचित्य

संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा विज्ञान समाचार पढ़ने की गति और शुद्धता में वृद्धि, पढ़ने की गति और भाषागत उपलब्धि पर प्रोम्पटिंग के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इनमें से अधिकांश अध्ययन विदेशों में किए गए हैं। उत्तराखण्ड की विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में हिन्दी, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन विषयों में प्रोम्पटिंग के प्रभाव पर शोध अध्ययन

उपेक्षित रहा है। अतः प्रारंभिक स्तर जिसे भावी शिक्षा की नींव भी कहा जाता है, के विद्यार्थियों की उपलब्धि पर प्रोम्पटिंग के प्रभाव को जानने के लिए यह अध्ययन किया गया है ताकि मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में उपलब्धि के सुधार के लिए एक उपयुक्त विधि के रूप में प्रोम्पटिंग का परीक्षण किया जा सके।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अध्ययन हेतु चयनित विषयों (भाषा, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन) में प्रोम्पटिंग (prompting) प्रश्नावली समूह और सामान्य प्रश्नावली समूह के शिक्षार्थियों की उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. चयनित विषयों में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के शिक्षार्थियों की सामान्य प्रश्नावली में प्राप्त उपलब्धि की गणना करना और दोनो स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन हेतु परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शून्य परिकल्पना का चयन किया गया है। इसे निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है–

1. चयनित विषयों में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह और सामान्य प्रश्नावली समूह के शिक्षार्थियों की उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के बच्चों की चयनित विषयों में सामान्य प्रश्नावली और प्रोम्पटिंग प्रश्नावली में उपलब्धियों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन का सीमांकन

यह शोध अध्ययन कक्षा 4 के 60 बच्चों पर सीमित किया गया है। अध्ययन के लिए 10 विद्यार्थी प्रति विद्यालय की दर से 6 अलग–अलग प्राथमिक विद्यालयों से कुल 60 बच्चों का शोध हेतु चयन किया गया है।

अध्ययन हेतु उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु चयनित विषयों हिन्दी, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में दो प्रकार की प्रश्नावलियॉ शोधकर्ता द्वारा तैयार की गई। दोनों प्रश्नावलियों में एक जैसे प्रश्न हैं। दूसरी प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ–साथ उत्तरों के लिए संकेत भी दिए गए हैं। सुविधा के लिए उत्तरों के संकेत वाली प्रश्नावली को प्रोम्पटिंग प्रश्नावली तथा बिना उत्तर संकेत वाली प्रश्नावली को सामान्य प्रश्नावली नाम रखा गया है। कक्षा 4 के 60 बच्चों (10 प्रति विद्यालय) पर सीमित किया गया है। इस प्रकार 6 प्राथमिक विद्यालयों का शोध हेतु चयन किया गया है।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय विधियां

इस अध्ययन में शोध विधि के तौर पर नार्मेटिव सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। कुल जनसंख्या में 60 प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह तथा 60 सामान्य प्रश्नावली समूह सम्मिलित है। न्यादर्श के तहत प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के 30 तथा सामान्य प्रश्नावली समूह 30 विद्यार्थियों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है। दोनों समूहों के विद्यार्थियों के उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन हेतु मध्यमान विधि का प्रयोग किया गया है तथा सार्थकता अंतर मापन के लिए टी परीक्षण किया गया है।

प्रदत्तों का संकलन

चयनित विषयों में शिक्षार्थियों की उपलब्धि पर प्रोम्पटिंग की प्रभावशीलता जानने के लिए 30 बच्चों को प्रोम्पटिंग आधारित प्रश्नावली हल करने को दी गई। इसी समय विद्यालय के शिक्षक की सहायता से 30 अन्य बच्च्चों को सामान्य प्रश्नावली (बिना उत्तरों के संकेत वाली) हल करने को दी गई। परीक्षण पूरा होने के बाद प्रोम्पटिंग पर आधारित प्रश्नावली वाले बच्चों को अब सामान्य प्रश्नावली हल करने को दी गई। समयावधि पूरी होने के बाद बच्चों से हल प्रश्नावली ली गई। और आगे इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया।

परिणाम एवं व्याख्या

प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह और सामान्य प्रश्नावली समूह के शिक्षार्थियों की उपलब्धियां –

1. चयनित विषयों हिन्दी, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह और सामान्य प्रश्नावली समूह के शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के मध्य सार्थक अन्तर है। अतः प्रथम परिकल्पना निरस्त की जाती है।
2. इन विषयों में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के बच्चों की अपेक्षाकृत उच्च उपलब्धि प्रदर्शित होती है।
3. चयनित विषयों में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के बच्चों ने सर्वाधिक उपलब्धि भाषा और सबसे कम उपलब्धि गणित में प्राप्त की है।

प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के बच्चों की प्रोम्पटिंग प्रश्नावली और सामान्य प्रश्नावली में प्राप्त उपलब्धियां –

1. अध्ययन हेतु चयनित विषयों में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के बच्चों की प्रोम्पटिंग प्रश्नावली और सामान्य प्रश्नावली में प्राप्त उपलब्धियों के मध्य सार्थक अन्तर है। अतः द्वितीय परिकल्पना निरस्त की जाती है।
2. चयनित विषयों में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के बच्चों की प्रोम्पटिंग प्रश्नावली की तुलना में सामान्य प्रश्नावली में उच्च उपलब्धि प्रदर्शित होती है।

3. चयनित विषयों में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के बच्चों ने सामान्य प्रश्नावली में हिन्दी में सर्वाधिक उपलब्धि और गणित में सबसे कम उपलब्धि प्राप्त की है।

निष्कर्ष

मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के एक वर्ग को हिन्दी, गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित प्रोम्पटिंग पर आधारित प्रश्नावली हल करने को दी गई तथा दूसरे वर्ग को बिना प्रोम्पटिंग वाली प्रश्नावली हल करने को दी गई। प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह के विद्यार्थियों ने सामान्य प्रश्नावली समूह के विद्यार्थियों की तुलना में उच्च उपलब्धि प्रदर्शित की। इस परीक्षण के बाद प्रोम्पटिंग प्रश्नावली समूह को सामान्य प्रश्नावली हल करने को दी गई। अब की बार उन्होंने सामान्य प्रश्नावली में प्रोम्पटिंग प्रश्नावली की तुलना में उच्च उपलब्धि प्राप्त की। इससे सिद्ध होता है कि प्रोम्पटिंग से शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार आया है।

अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि विद्यालयी जनसंख्या के लगभग 10 प्रतिशत बच्चे पिछड़े होते हैं। किसी भी विद्यालय के लिए यह संख्या उपेक्षणीय नहीं है। अतः विद्यालय के पिछड़े बच्चों का पता लगाकर आवश्यकतानुसार उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं का संचालन किया जाना चाहिए। कक्षा में अलग–अलग उपलब्धि वाले बच्चों के होने से मंद गति से सीखने वाले बच्चों में आत्महीनता की भावना का विकास होता है। ऐसे बच्चों की उपलब्धि में सुधार के लिए एक उपयुक्त शिक्षण विधि प्रदान करना इस अध्ययन का उद्देश्य है। यह अध्ययन प्रोम्पटिंग द्वारा उपलब्धि में उन्नयन को स्पष्ट करता है। इसका प्रयोग अध्यापक और अभिभावक सुधारात्मक शिक्षण के लिए कर सकते हैं।

भविष्य में शोध हेतु सुझाव

1. यह अध्ययन शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों पर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी इस प्रकार के विद्यार्थी बड़ी संख्यों में हो सकते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर भी ऐसा ही शोध अध्ययन किया जाना चाहिए।
2. वर्तमान में यह अध्ययन मात्र 60 विद्यार्थियों पर किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष की सटीकता के मद्देनजर यही अध्ययन बड़े प्रतिदर्श पर भी दोहराया जा सकता है।
3. यह अध्ययन प्राथमिक स्तर की अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ–साथ उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों पर भी किया जा सकता है।
4. प्रोम्पटिंग की प्रभावशीलता का अध्ययन प्रौढ़ साक्षरों पर भी किया जा सकता है।
5. प्रोम्पटिंग के व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी अध्ययन किया जा सकता है।

6. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्कूलों के बच्चों में प्रोम्पटिंग की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ

1. बसु एम, एन (1958), एंथ्रोपोलोजी इन ट्राइबल एजुकेशन, बुलेटिन ऑफ कल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट कोलकाता।
2. ब्रूनिनिक्स और फेल्डमेन (1970), रिलेशनशिप बीटवीन क्रियेटिविटी, इन्टैलीजैन्स एण्ड एचीवमेन्ट अमंग साउदर्न डिसएडवान्टेज्ड चिल्ड्रन।
3. ड्यूट्श, एम (1965), रोल आर्फ सोसयल क्लास लैंगुएजेज डेवलेपमेन्ट एण्ड कॉगनिसन, अमेरिकन जरनल आफ आरथोसाकिमैट्री।
4. गुप्ता, लक्ष्मण प्रकाश, (1978), ए स्टडी ऑफ परसनल करैक्टरस्टिक्स एण्ड एकैडेमिक एचीवमेन्ट ऑफ एस. सी एण्ड बी. सी स्टूडेन्ट्स आफ मेरठ यूनिवरसिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवरसिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5. टी साइ और अन्य (2013), इफैक्ट ऑफ प्रोम्पटिंग ऑन क्रिटिकल रीडिंग ऑफ साइन्स न्यूज ऑन 7 ग्रेड स्टूडेन्ट्स, इंटरनेशनल जरनल आफ एनवारमेन्ट एण्ड साइन्स एडुका, ताइवान।
6. डेनिस आर नैपक्जिक और गैरी लिविंगस्टोन (1973), इफैक्ट ऑफ प्रोम्पटिंग ऑन क्वेशचन्स आस्किग, टास्क बिहैवियर एण्ड रीडिंग कम्प्रीहेन्सन, इण्डियाना यूनिवरसिटी एण्ड स्टेट यूनिवरसिटी ब्लूमिंगटन।
7. मिन्डिस एलेन्जर, (2015), इफैक्ट ऑफ टीचर प्रोम्पटिंग टैक्नीक ऑन राइटिंग परफैक्सन आफ 4 एण्ड 5 ग्रेड, कॉलेज आफ मारशल यूनिवरसिटी वेस्ट वरजीनिया।
8. लिन्डा बेल और अन्य (2013), इफैक्ट आफ मोटिवेशनल प्रोम्प्ट ऑन मोटिवेशन इफर्ट एण्ड परफौरमेन्स, नौरफोक स्टेट यूनिवरसिटी।
9. एमी ब्लिचा और फ्लिप जे बेल्फिअर (2013), इफैक्ट आर्फ ऑटो मैटेड प्रोम्पटिंग एण्ड सेल्फ मोनिटरिंग ऑन होम वर्क कम्पलीसन, डिपार्टमेन्ट आफ स्पेशियल एजुकेशन, मरसीहस्ट यूनिवरसिटी यू एस ए।

साथियों, स्वतंत्रता के युद्ध में मेरे साथियों ! मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं आपसे अपना खून मांगता हूं। यह खून ही उस खून का बदला लेगा, जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूं।

– नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

हमारा विद्यालय : हमारी सोच

– एस. के. सिंह
– शीला सिंह

आजादी के लगभग 7 दशक होने को हैं, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है, परन्तु इस क्षेत्र में आशातीत सफलता नहीं मिली। शिक्षा के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय – समय पर अनेक नीतियां बनाई गईं यथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986/92), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1993), राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा ढांचा (एन.सी.एफ–2005) तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009)। बदले परिदृश्य में शिक्षा को युगानुकूल बनाने के लिए सन् 2015 में पुनः नई शिक्षा नीति बनाने के लिए समिति गठित की गयी है। संभव है कि अगले कुछ समय में नवीन शिक्षा नीति घोषित हो जाए । पर सवाल उठता है कि क्या एक के बाद एक नीतियों में परिवर्तन से ''शिक्षा के सार्वभौमिकरण'' अथवा ''सभी के लिए शिक्षा'' के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जा सकेगा। यह सवाल अभी बना हुआ है।

वस्तुतः हमारे देश में शिक्षा नीति निर्माता और शैक्षिक प्रशासक उपलब्धियों की चिन्ता किए बैगर एक के बाद एक शैक्षिक नीतियां एवं शैक्षिक योजनाएं बनाते गए। इसके कारण हम किसी भी एक शिक्षा नीति पर आगे बढ़ते हुए निर्णायक प्रगति नहीं कर पाए। हुआ यह कि हमने एक शिक्षा नीति को अपनाया, उसमें आंशिक प्रगति की और अगली शिक्षा नीति को बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में लग गए। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। 1986 की शिक्षा नीति में उल्लिखित अनेक उद्देश्यों, जैसे सौंदर्यात्मक बोध, मूल्यपरक शिक्षा, आपरेशन ब्लैक बोर्ड इत्यादि के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए। वर्ष 2005 में यशपाल समिति की रिपोर्ट 'बिना बोझ के शिक्षा' आई, परन्तु सन् 1983 एवं 2000 में बनी नीतियों के लक्ष्यों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय पाठयचर्चा को रूपरेखा 2005 जन सामान्य तक आते आते 2009, 2010 लग गए तभी एन.सी.एफ.टी.ई. 2009 बन गई और अब नई शिक्षा नीति 2015 पर गहन चिंतन एवम् विचार–विमर्श हो रहा है।

शैक्षिक चिन्तन और विचार के दृष्टिकोण से कहा जाए तो कोई भी नई शिक्षा नीतियों का विरोधी नहीं है, परन्तु होना यह चाहिए था कि जैसे हमारी 5 वर्षीय योजनाएं एवं 10 वर्षीय जनगणना नीतियों बनती है, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी 5 वर्ष योजनाएं बनायी जाती तथा सकारात्मक समीक्षा एवं पुनरावलोकन के आधार पर ही अगली शैक्षिक योजनाएं बनायी जाती तो बेहतर होता। अब तक शिक्षा की जो अनेक नीतियों एवं योजनाएं बनी उनमें अभिभावकों एवं जनसामान्य के विचारों को शामिल नहीं किया गया है। यह प्रशंसा योग्य है कि शिक्षा नीति 2015 जो बनने की प्रक्रिया में है, इसमें जनता की गहन सहभागिता ली जा रही है।

इससे निश्चय ही जनता की अपेक्षाओं को शिक्षा नीति में सम्मिलित किए जाने का अवसर प्राप्त होगा और विद्यार्थी सीखने में सक्रियता दिखा सकेंगे। यह सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाली, शिक्षण की आनन्ददायी प्रक्रिया को गति देने वाली एवं सार्थक सकारात्मक सहभागिता को बढ़ाने वाली गतिविधि होगी।

वस्तुतः यह देखा गया है कि विद्यालयी शिक्षा में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आदि विषयों पर प्रभावी जोर दिया जा रहा है लेकिन संगीत, बागवानी, योग शिक्षा, व्यायाम, मूल्य शिक्षा, आपदा प्रबन्धन, फोटोग्राफी, डेरी उद्योग, पर्यावरण कौशल, शिल्प शिक्षा आदि को प्रभावी रूप में क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रमों में यथोचित स्थान नहीं दिया जा रहा है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऐसे अनेक विद्यालय हैं जहां विद्यालय के संचालन, छात्रों की देखभाल एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में अभिभावकों की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता नहीं ली जाती। इन विद्यालयों में नियम मात्र की रक्षा हेतु अभिभावक – शिक्षकों की मीटिंग (PTA) होती है परन्तु यह विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करने तक ही सीमित रहती है। केवल गिनती के हीं कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां शिक्षा एवं छात्रों के विकास से संबंधित अनेक विषयों के समाधान हेतु अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से लगातार एवं नियमित सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

अध्ययन के दौरान गहन साक्षातकारों के माध्यम से छात्रों एवं अभिभावकों के विचार संकलित किए गए। इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि सभी विद्यालयों द्वारा अपने कार्य से संबंधित तमाम मुद्दों के सम्बन्ध में अभिभावकों एवम् विद्यार्थियों से विचार–विमर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी एवं अभिभावक ही ऐसे उपभोक्ता हैं जो विद्यालयों को जीवंत, रचनात्मक एवं सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। पूर्व में आयोजित अनेक शोध अध्यनों से यह निकष प्राप्त हुआ है कि प्रभावी शिक्षण के लिए अध्यापन शिक्षक केन्द्रित नहीं बल्कि विद्यार्थी केन्द्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों से यह विचार लिया जाना चाहिए कि विद्यालयों का स्वरुप कैसा हो? उसमें मूलभूत सुविधाएं क्या–क्या होनी चाहिए ? इससे विद्यार्थियों को स्कूल में अनुकूलन एवं सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी तथा पठन–पाठन में भी सुविधा हो सकेगी।

ऐसा प्राय देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी प्रारम्भ में विद्यालय जाने में असहजता का अनुभव करते है और स्कूल जाते समय पेट दर्द जैसे अनेकों बहाना बनाते हैं। वास्तव में कुछ अवसरों को छोड़कर बाकी में यह सरासर बहाना होता है। ये विद्यार्थी स्कूल की अवधि समाप्त होते ही पेट दर्द भूलकर खेल–कूद इत्यादि अन्य कार्यों में लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते है जो घर से स्कूल जाने के लिए निकलते तो हैं, परन्तु स्कूल जाने के अलावा कहीं और समय व्यतीत कर देते हैं। विद्यालयों में शिक्षकों को शैक्षिक प्रक्रिया को

आनन्ददायक बनाने के लिए विद्यार्थियों से स्वच्छ शैक्षिक संवाद बनाये रखना चाहिए। विद्यालयों और स्कूलों में लचीली बैठक व्यवस्था की जानी चाहिए। आधुनिक शिक्षा बच्चों को शिक्षण सामग्री के माध्यम से सीखने की बात करती है। घरेलू मुद्दे एवं राष्ट्रीय मुद्दे इत्यादि भी बच्चों के मुद्दों के साथ साझा किये जाने चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 में भी कही गई है।

यह भी आवश्यक है कि शिक्षकों के प्रति भी समाज का सकारात्मक एवं सम्मानजनक दृष्टिकोण हो।

यहां गौर करने लायक है कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों का ही उद्देश्य शत–प्रतिशत बालकों का स्कूलों में नामांकन करना था परन्तु आज भी बड़े–बड़े शहरों एवं कस्बों में बच्चे मजदूरी करते अथवा भीख मांगते देखे जाते हैं। क्या कारण है कि शिक्षा प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक सुविधाओं के उपरान्त भी शैक्षिक योजनाएं पूर्णयता सफल नहीं हो पा रही हैं ?

अब तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) भी क्रियान्वित हो गया है। बावजूद इसके समाचार पत्रों में प्रकाशित ताजा रिपोर्ट बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरीखे कई राज्यों में स्कूल ड्रापआउट के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। यह बेहद चिन्ता का विषय है और मांग करता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के सभी प्रावधानों पर गौर किया जाए और यदि इसमें कुछ खामियां रह गई हों तो उन्हें अविलम्ब दूर करने के प्रयास किए जाएं। ऐसा देखा गया है कि सरकारी विद्यालयों में 2 से 5 शिक्षक/शिक्षिकाओं के ऊपर प्रभावी शिक्षण हेतु अधिकारियों/निरीक्षकों की लम्बी संख्या में फौज तैनात रहती है। सवाल उठता है कि यदि निरीक्षण हेतु अधिकारियों की फोर्स लगाई जा रही है तो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु शिक्षक, शिक्षिकाओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है ? एक अविश्वास का माहौल सा बन गया है जहां प्रत्यक्ष कार्य करने वालों के उपर निगरानी करने वालों की तायदाद कहीं ज्यादा है। यह भी देखा गया है कि अनेक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिक्षकों को दायित्व दिये जाने के कारण शिक्षण कार्य बाधित होता है। इसका विपरीत प्रभाव शिक्षकों के शिक्षण कार्य एवं व्यक्तित्व पर पड़ता है। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण सम्बन्धी अनुकूलन में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त निजी विद्यालय में प्रभावी शिक्षण हेतु अधिकारियों/निरीक्षकों की बड़ी संख्या नहीं है। फिर भी वहॉ कक्षा शिक्षण अधिक गुणात्मक है और अनवरत चलता है।

वास्तव में आवश्यक है कि सरकारी विद्यालयों में व्याप्त अविश्वास के माहौल को दूर किया जाए तथा अध्यापकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रर्याप्त

सम्मान दिया जाए। विद्यालय में शिक्षण की गुणवत्ता बढानें के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों का कार्य मात्र शिक्षण अधिगम तक सीमित रहे।

शैक्षिक नीतियों के तहत शामिल योजनाओं को सकारात्मक रूप से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम कक्षा 1 से 5 तक के नवीन विद्यार्थियों के स्कूल के पर्यावरण के साथ कम से कम एक दो माह अनुकूलन स्थापित किये जाने का अवसर दिया जाए। इस प्रक्रिया से बच्चे विद्यालय को अच्छे ढ़ग से समझ सकेंगे। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 की संकल्पना के अनुसार विद्यालयों को छात्रों के लिए आनन्दालाय बनाने के आशय को चरितार्थ करने में भी मदद मिल सकेगी। विद्यालय में बच्चों की अभिरूचि जानने के लिए आर्ट गैलरी, म्यूजिक गैलरी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। इन गैलरियों से विद्यार्थियों को कला, संगीत एवं व्यायाम के महत्व को जानने का अवसर मिल जायेगा। विद्यालय ही ऐसा स्थान है जिसमें विद्यार्थी अपनी अभिरूचि को निखार सकते हैं।

उपरोक्त की भांति खेल–कूद जैसे – क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, बालीबाल, खो–खो इत्यादि के प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक विद्यालय में खेल–कूद का मैदान विकसित होना चाहिए। इसमें बच्चों की खेल सम्बन्धी प्रतिभाओं को जानने का अवसर तो मिलेगा ही साथ ही साथ उनके खेल–कूद की प्रतिभा को निखारने का मौका भी मिल सकेगा, जिससे स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकेगा। साथ ही विद्यार्थियों के विभिन्न रूझानों का पता चल सकेगा। इस अल्पकालीन अध्ययन से प्राप्त निम्नलिखित सुझाव शत–प्रतिशत बालकों के नामांकन एवं दाखिला, विद्यालयों में पठन पाठन की गुणवत्ता एवं समूची प्रक्रिया में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के सक्रिय सहभाग को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होंगे –

- विद्यालय में पठन–पाठन सामग्री में विद्यार्थियों के समक्ष विकल्प रखे जाने चाहिए।
- शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों के समक्ष सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए न कि शिक्षक के रूप में।
- शिक्षकों को विद्यार्थियों के मध्य गतिविधि संचालन करते समय सम्प्रेषक के रूप में सक्रिय रहना चाहिए।
- शिक्षकों को विद्यार्थियों के मध्य अप्रत्यक्ष मूल्यांकन करके बच्चों में ज्ञान, समझ व अनुप्रयोग की स्थिति का पता लगाना तथा तदनुसार शिक्षण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना चाहिए।
- संगीत कला के द्वारा विद्यार्थियों को नैतिकता और अनुशासन एवं मूल्य संवर्धन का पाठ सुगमता से पढ़ाया जा सकता है। यदि प्रारम्भ से विद्यार्थियों को नैतिकता और अनुशासन का प्रवचन न देकर ऐसा संगीत सिखाया जाए जो ऐसी सद्भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, जिससे नैतिकता और अनुशासन का

प्रचार–प्रसार हो तो इससे समाज व राष्ट्र में अपेक्षित बदलाव आ सकता है। ऐसा होने पर अच्छे संस्कार स्वतः ही पल्लवित पुष्पित एवं सिंचित हो सकेंगे।

- विद्यालय में कक्षा प्रारम्भ होने से पहले 15 से 30 मिनट तक सौम्य एवं धीमा संगीत बजाया जाए। बदल–बदल कर विद्यालय के आनन्ददायी माहौल बनाने में संगीत, कला, खेल व्यायाम का भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
- विद्यालय में गीत, संगीत, कैसेट/सी.डी. के माध्यम से बच्चों को सुनवाया जाना चाहिए। तदनुसार बच्चों को भी सुनाने को प्रेरित करना चाहिए। साथ में अभिभावक को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलगा।
- अभिभावक भी बच्चों के सृजनात्मकता एवं कलात्मक क्षमता के विकास से प्रसन्न होकर बच्चों से सन्तुष्ट हो सकेंगे। साथ ही वे बच्चों को प्रेरित करने हेतु प्रयास करेंगे।
- संगीत एवं कला से ह्रदय की कटुता नष्ट होती है और सह्रदयता का जन्म होता है। मन में जन्मजात सौन्दर्यानुभूति विकसित होती है।
- स्कूलों/विद्यालयों/कालेजों में प्रख्यात पत्रकारों द्वारा विभिन्न सम्मानित एवं प्रतिष्ठित लोगों के विचार टी.वी. अथवा कैसेट के माध्यम से विद्यार्थियों को सुनवाया जाना चाहिए।
- इससे विद्यार्थियों की वाक्पटुता, साक्षात्कार कौशल वाक् कौशल को बल मिल सकेगा, साथ ही विद्यार्थियों को इण्टरव्यू/साक्षात्कार में किस विषय का किस ढ़ंग से जवाब दिया जाए यह कौशल भी विकसित हो सकेगा।
- जो छात्र कुछ विषयों में अध्ययन में अपेक्षानुरूप शैक्षिक दक्षता नहीं रखते उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा क्रियात्मक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
- शिक्षकों हेतु प्रभावी योजनाएं बनाने और उन्हे प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षक ही ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमारी परम्पराएं, संस्कार, रीति– रिवाजों को छात्रों के माध्यम से प्रचारित–प्रसारित एवं स्थानान्तरित करते हैं और समाज को सवांरने का कार्य करते हैं, या यों कहें कि शिक्षक ही वह संजीवनी है जो छात्रों में जीवन को निखारने में महत्वपूर्ण वाहक का कार्य करते हैं। अतः समाज में शिक्षकों के प्रति जो नकारात्मक रूख है, उसे बदलना चाहिए।

> समाज टुकड़ों में नहीं बदल सकता। उसके लिए एक जन–क्रांति, जन–आंदोलन और भारी परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
>
> – जयप्रकाश नारायण

लैंगिक संवेदनशीलता और शिक्षा

– बी.एल. श्रीमाली

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।
यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

अर्थात् जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता रमण करते हैं और जहां इनकी पूजा (सम्मान) नहीं की जाती है वहां सभी क्रियाएं विफल हो जाती है। वर्तमान संदर्भ में भारतीय परिदृश्य में लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तीकरण कोई नवीन सम्प्रत्यय नहीं अनुभूत होता है क्योंकि भारतीय संविधान में स्त्री तथा पुरुष को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं परन्तु भारतीय जनसमुदाय में महिला शिक्षा के प्रति जागरुकता में कमी होने के कारण वर्तमान में पुनः लैंगिक संवेदनशीलता एवं नारी सशक्तीकरण पर चिन्तन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। शिक्षा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो महिलाओं को अपनी मंजिल पाने और समाज में सम्मान दिलाने में सहायक होती है। देश की सम्पूर्ण आबादी की आधी जनसंख्या महिलाओं की है यदि राष्ट्र की सम्पूर्ण प्रगति को ध्यान में रखकर सोचा जाए तो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा ज्यादा महत्त्वपूर्ण है फिर भी वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर 73 प्रतिशत है। यदि केवल महिलाओं की बात करें तो उनकी साक्षरता दर मात्र 64.6 प्रतिशत है वहीं पुरुष साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि साक्षरता की दृष्टि से महिला एवं पुरुष के बीच अभी भी एक बड़ा फासला विद्यमान है। यह फासला महिला विकास के अन्य आयामों पर कहीं और ज्यादा नकारात्मक प्रतिफलित होता है। इसलिए महिला सशक्तीकरण पर पुनः चिन्तन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

विदित है कि एक के बाद एक कई संविधान संशोधनों द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के मार्ग में आने वाले अड़चनों को दूर करते हुए उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अधिकार सम्पन्न बनाया गया है परन्तु उनकी इस अधिकार सम्पन्नता के परिणाम आम समाज में अभी भी अपेक्षित रुप में नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए है कि अधिकार स्वयं में ही कारगर नहीं होते। अपनी स्थिति में बदलाव लाने तथा अपने उपर हो रहे अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि प्राप्त अधिकारों का सही समय पर सटीक प्रयोग किया जाए। और ऐसा तभी सम्भव है जब महिला विकास के प्रति समाज के सभी वर्गों विशेषरुप से स्वयं महिलाओं को जागरुक बनाया जाए।

शिक्षा के बिना किसी भी संविधान संशोधन का लाभ महिला वर्ग को नहीं मिल सकता है। शिक्षा से ही उन्हें सामयिक समझ, योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता और साहस मिल सकेगा। शिक्षा से ही लैंगिक समानता का भाव विकसित हो सकेगा और नारी स्वयं में अपनी शिक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरुकता एवं सकारात्मक सोच विकसित कर सकेगी। परिवार में माता एक नारी है परन्तु लैंगिक समानता का भाव न होने के कारण वह अपने पुत्र एवं पुत्री में विभेद करती है। सहजता से ही माता के मस्तिष्क में पुत्र के प्रति पुत्री की तुलना में कहीं अधिक भावनात्मक सहृदयता देखने को मिलता है। पुत्र के प्रति यह भावनात्मक सहृदयता हीं आगे चलकर महिलाओं के अधिकार हनन का सबब बनता है। अतः महिलाओं को प्रथमत्या महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनने की आवश्यकता है।

यदि महिला आगे बढ़कर स्वयं महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनेगी तो पुरूष चाहे वह पिता, पुत्र, पति, किसी भी रुप में क्यों न हों, स्वतः हीं महिलाओं के प्रति संवेदनशील बन जाएंगे। और इस प्रकार सम्पूर्ण समाज महिलाओं के प्रति संवेदशील बनता चला जाएगा।

स्वाधीनता के बाद के सामाजिक परिदृश्य पर यदि गौर करें तो पता चलता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति समय–समय पर बदलती रही है। विगत सात दशकों में हुए छोटे – बड़े अनेक सुधारवादी आंदोलनों और सरकारी प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। आज की महिलाएं विश्व सुन्दरी का सम्मान पाने से लेकर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति बनने तक का अवसर प्राप्त कर चुकी हैं।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में जबरदस्त विकास हुआ है एवं वर्तमान में भी यह धारा उत्तरोतर विकास की और बढ़ता दृष्टिगोचर हो रहा है जो उदीयमान भारत के लिए एक गौरव का विषय है। परन्तु आज भी ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है जिसके पीछे कई कारण दृष्टिगोचर होते हैं जैसे– महिलाओं में स्वजागरुकता की कमी, शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव, गरीबी, रुढ़िवादी सोच, घरेलू एवं कृषि कार्यों में महिलाओं की व्यस्तता, पुरुष प्रधान समाज की परम्पराओं का निर्वहन इत्यादि है। इन सभी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस प्रकार के परिवर्तनों से कोसों दूर हैं। कुछ तो ऐसा है कि समय – समय पर देश में संचालित सुधार आंदोलनों के प्रभाव से ग्रामीण इलाके अछूते रह जाते हैं। इसलिए पहले से ही पिछड़े ग्रामीण इलाके और अधिक पिछड़ेपन का शिकार होते चले जाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से जागरुक बनाकर महिला सशक्तीकरण पर सार्थक चिन्तन किया जाए। पर इसकी शुरूआत परिवार से होनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति एवं परिवार में महिला अधिकारों तथा लैंगिक समानता के प्रति समझ विकसित हो सके।

भारत में समय—समय पर गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों में भी महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों जैसे— विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948—49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952—53), कोठारी शिक्षा आयोग (1964—66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय दस्तावेज ''राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2005'' ने महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु ठोस सुझाव प्रदान किए हैं।

आधुनिक शिक्षा के महती दस्तावेज के रुप में चिह्नित कोठारी कमीशन (1964—66) ने तो यहां तक कहा है कि ''हमारे मानव संसाधनों के पूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए, स्त्रियों की शिक्षा का महत्त्व पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक है।''

केन्द्र एवं राज्य सरकारें भी महिला सशक्तीकरण हेतु समय—समय पर अलग—अलग योजनाएं संचालित करती रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की साक्षरता एवं शिक्षा पर विशेष बल दे रहा है ताकि वर्ष 2017 तक देश की 80 प्रतिशत महिलाओं को साक्षर बनाया जा सके और पुरुष तथा महिला साक्षरता के बीच वर्तमान फासले को भी कम किया जा सके। यह कार्यक्रम देश के उन सभी जिलों में जहां सन् 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी, वहां संचालित किया जा रहा है। इन सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। स्थानीय पंचायत की देख रेख में दो प्रेरकों द्वारा स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से इन लोक शिक्षा केन्द्रों में ना केवल असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाया जाता है बल्कि नवसाक्षर महिलाओं को सतत् और आजीवन शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वयं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए अपने आप को स्वावलंबी बना सकें तथा अपने परिवार एवं समाज के विकास में सहयोग दे सकें। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं का आरक्षण मौजूदा एक तिहाई से बढ़ाकर कम से कम पचास प्रतिशत कर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान में राजकीय स्तर पर महिला सशक्तीकरण की दिशा में बहुत गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में राजस्थान को ही देश का ऐसा पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने सन् 1984 में ही सात जिलों में महिलाओं के विकास के लिए महिला विकास कार्यक्रम की शुरूआत कर दी थी। कालांतर में इस महिला विकास कार्यक्रम के सफल परिणामों को देखते हुए इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। राजस्थान राज्य में विगत

वर्षों में निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पांच सूत्रीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाया गया था –

1. कक्षा 10 तक शत प्रतिशत बालिकाओं का ठहराव।
2. हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाना।
3. बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति।
4. महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना जिसमें आने वाले वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम 11 हजार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।

इनके अतिरिक्त भी केन्द्र एवं राज्य सरकारें अनेक योजनाएं संचालित कर रही है जिनके माध्यम से महिला सशक्तीकरण में वृद्धि की जा सकती है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं –

1. सामूहिक विवाहों हेतु अनुदान
2. जिला महिला सहायता समिति
3. महिला संरक्षण अधिनियम 2005
4. जननी सुरक्षा योजना
5. मुख्यमंत्री बालिका सबल योजना
6. शिशु पालना गृह
7. जेंडर संवेदनशील बजटिंग
8. किशोरी शक्ति योजना,
9. महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम
10. मुख्यमंत्री का सात सूत्रीय महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम
11. महिला केन्द्रित अन्य विकासात्मक कार्यक्रम

स्पष्ट है कि भारतीय परिदृश्य के वर्तमान संदर्भ में महिला सशक्तीकरण कोई नवीन सम्प्रत्यय नहीं है। भारतीय संविधान ने प्रारम्भ में ही समानता का अधिकार प्रदान कर महिलाओं को सशक्त करने का भरपूर प्रयास किया था। भारत सरकार और राजस्थान सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरुप विभिन्न गतिविधियों को मूर्तरूप देने में पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। बावजूद इसके महिला सशक्तीकरण की स्थिति अपेक्षा से कहीं पीछे है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं अपने सशक्त होने में आने वाली बाधाओं को स्वयं से आगे बढ़कर दूर करने का प्रयास करें तथा इसके लिए उपलब्ध सभी संसाधनों एवं अधिकारों का उपयोग करें। साथ ही साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी महिला सशक्तीकरण पर सकारात्मक एवं व्यापक सोच विकसित करना होगा।

x.kr= gekjk xkjo g

–कुसुम वीर

गणतंत्र दिवस की वेला
में तिरंगे का हम मान करें
जय हिन्द के नारे के संग
सब भारत भूमि को नमन करें

दिन–रात वतन की रक्षा में
सीमा के प्रहरी जाग रहे
हम सुखी बसे अपने घर में
हर कष्ट में वे तैनात रहें

धन्य हुआ जीवन उनका
जो देश की खातिर शहीद हुए
भारत मां की रक्षा करने
हंसते–हंसते बलिदान हुए

आजादी का है मान हमें
गणतंत्र हमारा गौरव है
आतंक, ज़ुल्म, अन्याय को अब
पैरों से रौंद मिटाना है

बर्दाश्त नहीं अन्याय हमें
हर ज़ुल्म का सीना चीरेंगे
इस देश की खातिर जीते हैं
इसकी खातिर हम जॉ देंगे

जन्म भूमि यह स्वर्ग धरा
सब मिल इसका यश गान करें
संस्कार सुवासित चन्दन से
भारत मॉ का हम तिलक करें

अखण्ड रहे भारत अपना
यही हमारा सपना है
इस देश के गौरव की खातिर
सबको मिल कदम बढ़ाना है।

f’k{kk

इस धरती पर सिर्फ मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सभी प्राणियों में अकेला वही शिक्षित है। पशुओं को जिस भी दिशा में हांक दो, वे उसी ओर चलते चलते जाएंगे, लेकिन मनुष्य के मामले में ऐसा नहीं होता। वह शिक्षा ग्रहण करता है और इसकी वजह से वह अपने हर कार्य से पूर्व अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता है। अगर आज मनुष्य चांद–सितारों तक पहुंच गया है, तो यह उसकी शिक्षा का ही कमाल है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षित होकर ही मनुष्य अपना और अपने समाज का विकास कर सकता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता। हर मनुष्य को अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति कि लिए शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा हमें सोचने की शक्ति देती है और हमारी तर्कशक्ति बढाती है। शिक्षा हमें यह निष्कर्ष निकालने में मदद करती है कि क्या सही है क्या गलत है ? शिक्षा से मनुष्य के विचारों में संतुलन और स्थिरता आती है। शिक्षा से हमारा धैर्य, चिन्तन–मनन और संकल्प की शक्ति बढ़ती है। शिक्षा से हम गरीबी और अज्ञानता को मिटा सकते है और शिक्षा से ही हम अपने आस–पास शांति और भाई चारे का माहौल बना सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को स्वयं के विकास के साथ –साथ समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी प्ररित करती है।

शिक्षा ही वह धन है, जो बांटने से बटती है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद भी खूब पढ़े और उसे दूसरों को भी पढ़ाए। जो माता–पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, वे उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। आपको किसी का भला करना है, तो उसे शिक्षा ग्रहण करने में मदद कीजिए, क्योंकि पैसे या अन्य भौतिक वस्तुओं से आप किसी की दो–एक बार ही मदद कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा देकर आप उसकी जीवन भर मदद कर सकते हैं। गीता में कहा गया है कि इस संसार में ज्ञान के समान और कोई भी पवित्र नही है। शिक्षा समृद्धि में हमारा आभूषण, विपत्ति में शरण स्थली होती है। हालांकि हमारी शिक्षा सैद्धांतिक के साथ व्यावहारिक भी होनी चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हमारा स्र्वांगीण विकास हो सकें। यानी ऐसी शिक्षा, जिससे हमारे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वालंबी बने। वास्तविक शिक्षा वह है, जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करने के साथ–साथ उसके अंतर्मन में सदगुणों का भी विकास करती है।

–अज्ञात

Proudh Shiksha

FORM - IV

1.	Place of Publication	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110002
2.	Periodicity of Publication	Quarterly
3.	Printer's Name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110002
4.	Publisher's Name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110002
5.	Editor's Name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110002
6.	Name and address of individuals who own the news paper and partners or share holders, holding more than one per cent of the total capital.	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi - 110002

I, Dr. Madan Singh, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 02-02-2017
New Delhi

(Sd/-)
Dr. Madan Singh
Signature of Publisher

हमारे लेखक

प्रभाकर सिंह
प्रोग्राम एसोसियेट
राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा
महालक्ष्मी नगर, इन्दौर (म.प्र.)

शमीम आरा हुसैन
सहायक प्राध्यापक
ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय
इन्दौर, मध्य प्रदेश

सुरेश कुमार सिंह
2/188, रश्मिखण्ड़
निकट सालेह नगर
बंगला बाजार लखनऊ
उत्तर प्रदेश

कुसुम वीर
टावर–7, फ्लैट–601
पर्श्वनाथ पनोरमा, सैक्टर ताउ
ग्रेटर नोएडाए
जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

उमेश चमोला,
शिक्षक–प्रशिक्षक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
उत्तराखण्ड
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन, नालापानी
देहरादून, उत्तराखण्ड

बी.एल. श्रीमाली
सहायक आचार्य (शिक्षा)
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड)
विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

श्रीमती शीला सिंह
C/o कर्नल आर. बी. सिंह
बेतिया हाता, दक्षिणी
न्यू शिवपुरी कालोनी
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश

प्रौढ़ शिक्षा के लिए लेख आमंत्रित हैं

त्रैमासिक पत्रिका 'प्रौढ़ शिक्षा' (ISSN 2231-2439) प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा क्षेत्र की एक प्रतिनिधि पत्रिका है जिसका प्रकाशन भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। विगत 60 वर्षों से यह पत्रिका नियमितरूप से प्रकाशित हो रही है।

स्वतंत्र लेखकों, पत्रकारों, प्राध्यापकों, शोध छात्रों एवं प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि वे इस पत्रिका हेतु शिक्षा, प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, स्वयंसेवी प्रयास, महिला सशक्तीकरण, विकास, कौशल विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, बाल विकास, सामाजिक समता, आर्थिक सशक्तीकरण जैसे तमाम विषयों पर अपने मौलिक लेख, शोध पत्र, संस्मरण, घटना वृतांत, कहानियां एवं कविताएं प्रेषित करें। लेख एवं शोध पत्र न्यूनतम 3000 से 5000 शब्दों के हो सकते हैं। लेखक अपनी रचनाएं हिन्दी के कृतिदेव 10 फोंट में टाईप कर उसकी ओपन फाईल directoriaea@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।